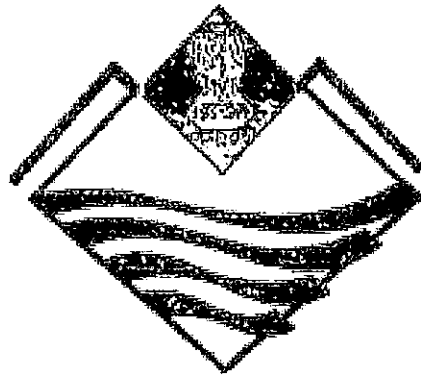




सूचना विवरण पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-11
(भाग-i)

(वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02 मार्च, 2026

विषय :-वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनान्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-अर्थ-2/9623/5क(02)/01/2025-26 दिनांक 18.12.2025 एवं अकादमिक(08)/10527/नि0पाठ्य पु0/2025-26 दिनांक 13.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20-विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के मानक मद 56-सहायता अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि रु0 20.00 करोड़ में से मात्र जनपदों की अवशेष देयता हेतु धनराशि रु0 13,79,14,003/- (रु0 तेरह करोड़ उनासी लाख चौदह हजार तीन मात्र) को अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए, व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566, दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. व्यय करने से पूर्व यथास्थिति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंसोधन), 2025 के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
5. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।
6. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।
7. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-20-विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण-56-सहायता अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 1/373807/2026 दिनांक 23.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय,
Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2026
11:14:40
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- — ()/XXIV(1)-A-2 /2026-14 /2020 टी0सी0 (E-41127)तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Pooran Giri
Date: 02-03-2026
11:24:51
(पूरन गिरि)
उप सचिव।

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(C) के अन्तर्गत प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-अर्थ-2/13560/5क(02)/12/2025-26 दिनांक 24 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(C) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-11, 30, 31 में निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार धनराशि ₹0 1,78,83,00,000/- के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु (माह अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026) धनराशि ₹0 84,89,78,060/- (₹0 चौरासी करोड़ नवासी लाख अठहत्तर हजार साठ मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनु० सं०	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि (प्रथम छमाही अक्टूबर, 2025-मार्च, 2026 हेतु)
1	2	3		4
11	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 24-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	1,41,57,00,000	71,68,60,430	68,50,09,195
30	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 03-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	30,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000
31	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 02- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	7,26,00,000	3,63,00,000	3,39,68,865
		1,78,83,00,000	90,31,60,430	84,89,78,060

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय/आहरण में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-287566/E-79713/09(150)/2019XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. छात्रों की संख्या के निर्धारण हेतु प्र0वि0 स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. योजना का प्रत्येक वर्ष Social Audit कराया जाए।
5. योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्कूलों के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर कक्षावार रिक्त सीटों की संख्या की सूचना वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाए।
6. फर्जी/त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों (विशेषतः आय प्रमाण पत्र) के प्रकरणों के निवारण हेतु ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन (प्रमाण पत्र डालते ही सूचना स्वतः प्रदर्शित) करने के लिए एक प्रभावी सत्यापन तंत्र विकसित किया जाए, जिससे आवेदन हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके।
7. लाभार्थियों की संख्या का यथोचित निर्धारण सक्षम स्तर पर परीक्षणोपरान्त करने के पश्चात् सुनिश्चित कर लिया जाए। Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन random verification किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।
8. आहरण एवं व्यय केवल वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
9. योजना के लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। योजना में पात्रता की वैधता का सत्यापन किये जाने का Mechanism भी विभाग द्वारा विकसित किया जाए।
10. योजनान्तर्गत गलत भुगतान या भुगतान में डुप्लीकेसी होने की दशा में उक्त धनराशि वसूल करने तथा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।
11. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायें।
13. व्यय करने से पूर्व यथा स्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
15. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
16. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।
17. विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
18. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।
19. प्री-प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा भारत सरकार से जो प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है उसको ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाए।
20. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान सं0-30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्रावधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति 31.03.2026 से पूर्व कर ली जाए।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-01-प्रारम्भिक शिक्षा की उपरोक्त तालिका में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटरजनित क्रमांक :1/384274/2026 दिनांक 31.03.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।
संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 31-03-2026 (एम.एम. सेमवाल)
19:56:22 अपर सचिव।

संख्या:- /XXIV-A-2/2026-05/2013T.C(E-49698) तदुद्दिनोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकर (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक, प्रा0शि0 में माध्यम से)
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी
उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली।

पत्रांक— अर्थ-2/212341 /5क(02)/13/2025-26 दिनांक 23 सितम्बर, 2025
विषय— वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु 33485 हजार (रुपये तीन करोड़ चौतीस लाख पचासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें—

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्य हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद-विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।
- 4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- कार्य पर मदवार उत्तना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।
- 7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दसों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11-निर्धारित एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आईडी के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामों डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आईडी।

Digitally signed by ^{भवदीय,}

BIRENDRA KUMAR

Date: 23-09-2025

10:58:00

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०-अर्थ-2/212341 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, देहरादून,
पिथौरागढ़, रुधमसिंह नगर।

पत्रांक— नियोजन 04/ 12907

/अनु०/2025-26 दिनांक 31, मार्च, 2026

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 165/XXIV-A-2/2026-09/2026(E-100732) बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में स्वीकृत धनराशि के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/13906-12/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 31 मार्च, 2026 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग शासन एवं निदेशालय के उक्त पत्रों में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा :-

क्र. सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य का नाम	धनराशि (लाख में)
1	अल्मोड़ा	हवालबाग	रा0प्रा0वि0 लामासिंह	ग्रामीण निर्माण विभाग	छत, फर्श चाहरदीवारी एवं अन्य मरम्मत कार्य	13.23
योग:-						13.23
2	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 तुनवाला-2	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	12.97
3	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 आराघर-2 धर्मपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	22.52
4	देहरादून	रायपुर	रा0क0उ0प्रा0वि0 आराघर धर्मपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	33.67
5	देहरादून	विकासनगर	रा0उ0प्रा0वि0 चान्दपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	10.80
6	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 नालापानी , धोबीघाट	ग्रामीण निर्माण विभाग	जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण	10.05
7	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 जोहड़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण	10.07
8	देहरादून	सहसपुर	रा0उ0प्रा0वि0 जोहड़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण	17.08
योग:-						117.16
9	पिथौरागढ़	बिण	रा0प्रा0वि0 तिलडुकरी	ग्रामीण निर्माण विभाग	लघु मरम्मत	23.50

10	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 गोलमानू	ग्रामीण निर्माण विभाग	वृहद मरम्मत कार्य	11.50
11	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0उ0प्रा0वि0 बोराबुंगा	ग्रामीण निर्माण विभाग	वृहद मरम्मत कार्य	28.00
12	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 कुनिया	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	15.40
13	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 किन्टा	मण्डी परिषद	मरम्मत कार्य	17.42
14	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रा0प्रा0वि0 कवाधार	पेयजल निगम	मरम्मत कार्य	18.26
15	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा0प्रा0वि0 ख्वोकोट	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	13.10
16	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा0प्रा0वि0 सूनी	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	15.20
17	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 नारायणनगर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	15.80
18	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 भड़गांव	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	11.10
योग:—						169.28
19	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर	रा0प्रा0वि0 महुआखेडा	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	12.46
योग:—						12.46
महायोग:—						312.13

(कुल योग:— रूपये तीन करोड़ बारह लाख तेरह हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय,

(नागेन्द्र बत्वाल)

संयुक्त निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

बजट आमतन

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,

ननूरखेडा, देहरादून।

सभा में,

वित्त अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा

पिथौरागढ़, देहरादून।

पत्रांक- अर्थ-2/13906-12.

/5क(02) 13/2025 26 दिनांक 21 मार्च 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-13/2026 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सनालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या 165/XXIV-A-2/2026 09/2026(ई 100732) दिनांक 31 मार्च, 2026 के द्वारा स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12 प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु0 31213 हजार (रु0 तीन करोड़ बारह लाख तेरह हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के लिए सलग्न बजट आवंटन आई0सी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सौंपटवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित कर

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथाराशोधित, वित्तीय नियम सप्तर खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथाराशोधित), वित्तीय नियम सप्तर 05 भाग 1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (वजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्य हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं नगर आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Dupliacy की स्थिति में समन्वित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटन न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक स्थापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफर) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वार्षिक देयता के मिल/मास्तर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। बालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11-निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

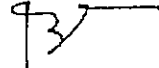
12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,



(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, वेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक/आदर्श प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/कन्या उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-नियोजन(04)/12323/आं0शासन/2025-26 दिनांक 27.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्यों की सूची उपलब्ध कराते हुए 51-अनुरक्षण मदान्तर्गत धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-298/XXIV(I)-A-2/2025-04/2020टी0सी0 दिनांक 08.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय-12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के मानक मद 51-अनुरक्षण हेतु धनराशि रु0 15.00 करांड अवमुक्त की गयी है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्यों हेतु कुल धनराशि रु0 3,52,77,000/- (रु0 तीन करोड़ बावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) को प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय-12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के मानक मद 51-अनुरक्षण से अवमुक्त करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिशिष्ट-1।

Digitally signed by भवदीय,
Madan Mohan Semwal
Date: 31-03-2026
19:30:17 (एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

१८

शासनादेश 30-165/XXI V-A-2/2020-09/2028(E-100732), दिनांक 31 मार्च, 2028 का संलग्नक

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	जनपद	विकास खण्ड	विद्यालय	कार्यदायी संस्था	कार्य	धनराशि (लाख में)
1.	ऊधमसिंह नगर	खटीमा	रा०आ०प्रा०वि० चन्देली थारु	ग्रामीण निर्माण विभाग	कक्षों की छत मरम्मत तथा 40 मी० वाउण्ड्रीवाल निर्माण	23.44
2.	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर	रा०प्रा०वि० महुआखेडा	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	12.46
3.	पिथौरागढ़	बिण	रा०प्रा०वि० तिलदुकरी	ग्रामीण निर्माण विभाग	लघु मरम्मत	23.50
4.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०प्रा०वि० गोलमानू	ग्रामीण निर्माण विभाग	वृहद मरम्मत कार्य	11.50
5.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०उ०प्रा०वि० बोरबुंगा	ग्रामीण निर्माण विभाग	वृहद मरम्मत कार्य	28.00
6.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०प्रा०वि० कुनिया	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	15.40
7.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा०प्रा०वि० किम्टा	मण्डी परिषद	मरम्मत कार्य	17.42
8.	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रा०प्रा०वि० कवाधार	पेयजल निगम	मरम्मत कार्य	18.26
9.	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० ख्योंकोट	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	13.10
10.	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० सूनी	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	15.20
11.	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० कमतौली	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	17.20
12.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०प्रा०वि० नारायणनगर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	15.80
13.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०प्रा०वि० भड़गांव	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	11.10
14.	देहरादून	रायपुर	रा०प्रा०वि० तुनवाला-2	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	12.97
			रा०प्रा०वि० आराह	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	22.52

			18-2 धर्मपुर	विभाग		
16.	देहरादून	रायपुर	रा0क0उ0प्रा0वि0 आराधर धर्मपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	33.67
17.	देहरादून	विकासनगर	रा0उ0प्रा0वि0 चान्दपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	मरम्मत कार्य	10.60
18.	अल्मोड़ा	हवालवाग	रा0प्रा0वि0 लामासिंह	ग्रामीण निर्माण विभाग	छत, फर्श, चाहरदीवारी एवं अन्य मरम्मत कार्य	13.23
19.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 नालापानी धोयीट गाट	ग्रामीण निर्माण विभाग	जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण	10.05
20.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 जोहड़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण	10.07
21	देहरादून	सहसपुर	रा0उ0प्रा0वि0 जोहड़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण	17.08
योग:-						352.77

(एम.एम. सेमवाल)
अपस सचिव

प्रेषक,

संशोधित

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-नियोजन(04)/4550-55 /कम्प्यूटर/2025-26 दिनांक 05 अगस्त, 2025
विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या: नियोजन(04)/4512-17/कम्प्यूटर/2025-26 दिनांक 04 अगस्त, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 26-कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्नगत पत्र में अंकित तालिका के स्तम्भ-03 एवं स्तम्भ-04 में विद्यालयों एवं आवंटित कम्प्यूटरों की संख्या त्रुटिवश त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है। उक्त तालिका के स्तम्भ-03 एवं स्तम्भ-04 में अंकित संख्यात्मक विवरण को निम्नवत् संशोधित पढ़ा जाय।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जिन्हे कम्प्यूटर आवंटित किया जा रहा है	आवंटित कम्प्यूटरों की संख्या	दर प्रति सेट	कुल आवंटित धनराशि
1	Almora	7	7	47000.00	329000.00
2	Bageshwar	37	37	47000.00	1739000.00
3	Chamoli	16	16	47000.00	752000.00
4	Champawat	18	18	47000.00	846000.00
5	Dehradun	60	60	47000.00	2820000.00
6	Haridwar	61	61	47000.00	2867000.00
7	Nainital	52	52	47000.00	2444000.00
8	Pauri Garhwal	25	25	47000.00	1175000.00
9	Pithoragarh	32	32	47000.00	1504000.00
10	Rudraprayag	20	20	47000.00	940000.00
11	Tehri Garhwal	68	68	47000.00	3196000.00
12	Udham Singh Nagar	8	8	47000.00	376000.00
13	Uttarkashi	21	21	47000.00	987000.00
Total		425	425	-	19975000.00

कुल योग:- रू०- 19975000.00 (रू० एक करोड़ नित्यानब्बे लाख पचहत्तर हजार मात्र)

शेष शर्तें निदेशालय के पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2025 के अनुसार यथावत रहेगी।

भवदीय

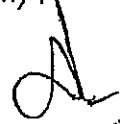
(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं० / नियोजन(04) / 4550-55

/कम्प्यूटर/ 2025-26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा)।



(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

समयबद्ध

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-नियोजन(04)/4512-1न /कम्प्यूटर/2025-26 दिनांक 04 अगस्त, 2025
विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ-2/4368-74/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 01 अगस्त, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 26-कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के (कम्प्यूटर- 45000.00 एवं यू०पी०एस०- 2000.00 की दर से कुल 47000.00 प्रति सेट) निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जिन्हे कम्प्यूटर आवंटित किया जा रहा है	आवंटित कम्प्यूटरों की संख्या	दर प्रति सेट	कुल आवंटित धनराशि
1	Almora	37	37	47000.00	329000.00
2	Bageshwar	16	16	47000.00	1739000.00
3	Chamoli	18	18	47000.00	752000.00
4	Champawat	60	60	47000.00	846000.00
5	Dehradun	61	61	47000.00	2820000.00
6	Haridwar	52	52	47000.00	2867000.00
7	Nainital	25	25	47000.00	2444000.00
8	Pauri Garhwal	32	32	47000.00	1175000.00
9	Pithoragarh	20	20	47000.00	1504000.00
10	Rudraprayag	68	68	47000.00	940000.00
11	Tehri Garhwal	8	8	47000.00	3196000.00
12	Udham Singh Nagar	21	21	47000.00	376000.00
13	Uttarkashi	37	37	47000.00	987000.00
Total		425	425	-	19975000.00

कुल योग:- रू०- 19975000.00 (रू० एक करोड़ निन्यानब्बे लाख पचहत्तर हजार मात्र)

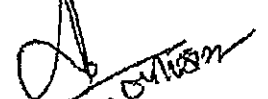
उक्त स्वीकृत धनराशि से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न प्रक्रियानुसार कम्प्यूटर सेट (यू०पी०एस०) क्रय की कार्यवाही की जायेगी:-

➤ सम्बन्धित विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही शासन के पत्र संख्या 395/XXIV-A-2/2023-26/2022 (E-43596) दिनांक 21 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न विशिष्टियों के आधार पर (कम्प्यूटर एवं यू०पी०एस०) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र

संख्या-नियोजन(04)/5300-04/कम्प्यूटर/2022-23 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 (संलग्न) में दिए गए निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के निहित प्राविधानों के तहत E-Tender/GEM Portal के माध्यम से क्रय किये जायेंगे।

- निदेशालय स्तर से आपको संलग्न सूची अनुसार विद्यालयवार कम्प्यूटर एवं यू०पी०एस० क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। यदि किसी विद्यालय में किसी अन्य योजना यथा सी०एस०आर०/विधायक निधि/समग्र शिक्षा आदि योजना से विद्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हों अथवा विद्यालय में पूर्व से ही कम्प्यूटर उपलब्ध हों, तो ऐसी स्थिति में जनपदीय समिति अपने स्तर से उस विद्यालय के स्थान पर अन्य विद्यालय में अधिक छात्र संख्या को मानक मानते हुए (प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालय जहां कोई भी कम्प्यूटर उपलब्ध न हों) चयन कर उसे कम्प्यूटर आवंटित करने के उपरान्त उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही जनपदीय समिति अपने स्तर से इन विद्यालयों का पुनः छात्र संख्या, सुरक्षित कक्षा-कक्ष एवं विद्यालय विद्युत संयोजित है अथवा नहीं का परीक्षण अवश्य कर लें।
 - जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कम्प्यूटर/यू०पी०एस० की गुणवत्ता का सत्यापन कर लिया जाय।
 - विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर/यू०पी०एस० क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर, आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते हुए उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा कम्प्यूटर/यू०पी०एस० पर आवंटन वर्ष (2025-26) भी अंकित किया जाय।
 - जनपदान्तर्गत छात्र संख्या शून्य होने के कारण बन्द या अन्य कारणों से बन्द विद्यालयों के कम्प्यूटरों को भी समीपवर्ती विद्यालयों जहां कम्प्यूटर की आवश्यकता हो, में उपलब्ध कराने हेतु जनपदीय समिति अपने स्तर से कार्यवाही करेगी।
 - सम्बन्धित जनपदों द्वारा कम्प्यूटर/यू०पी०एस० क्रय करने के उपरान्त कम्प्यूटर/यू०पी०एस० की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाए तथा चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाए जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
 - उक्त के अतिरिक्त आवंटित धनराशि से व्यय की कार्यवाही उक्त के अनुपालन के साथ-साथ अर्थ अनुभाग के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
- संलग्नक:- उक्तवत्।

भवदीय



(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ नियोजन(04)/ • 4512-12

/कम्प्यूटर/2025-26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा)।



(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,.....।

पत्रांक— अर्थ-2/4368-74 /5क(02)/13/2025-26 दिनांक 01 अगस्त, 2025
विषय— वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 20000 हजार (रु0 दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष रु0 19975 हजार (रु0 एक करोड़ निम्नान्वे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0-1 दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्वन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6- मितव्ययता के संवंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 4368-14

/5क(02)/13/

2025-26

दिनांक:- उपरवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्वन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्वन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(वीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम0 पोषण योजनान्तर्गत प्रथम किस्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पीएम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-रा0प0का0/355/PM Poshan-08(Budget)/2025-26 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17-9/2025-PMP-1 दिनांक 14.10.2025 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 16.10.2025 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 21,53,83,000/- (रु० ईक्कीस करोड़ तिरेपन लाख तिरासी हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 2,21,93,000/- (रु० दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवे हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 23,75,76,000/- (रु० तेईस करोड़, पचहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ट-1/2 में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अबमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।
- (3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- (4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- (5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

- (6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
- (7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उसमें लेखा-साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन राज्य परिशिष्ट-1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों द्वारा जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट-1/2)।

भवदीय,
Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 23-10-2025
17:12:18 (एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 ()/XXIV-A-2/2025-25/2007 टी0सी0 तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH BONAL
Date: 23-10-2025
17:47:24

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

शा.प.
ग.श.प.ई.व.
7/

परिशिष्ट-1/केन्द्रांश

शासनादेश सं०-465/XXIV-A-2/2025-25/2007 टी०सी० दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित केन्द्रांश	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या-11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायतित योजना		
01 01	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम०पोषण)(90% के०पो०)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9349.43	1571.22
अनुदान संख्या-30 (एस०सी०एस०पी०)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायतित योजना		
01 01	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम०पोषण)(90% के०पो०)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3093.84	519.93
अनुदान संख्या-31 (टी०एस०पी०)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायतित योजना		
01 01	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम०पोषण)(90% के०पो०)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	372.95	62.68
कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सँ० 11 + 30 + 31)		12816.22	2153.83

(रु० इक्कीस करोड़ तिरपन लाख तिरासी हजार मात्र)

शासनादेश सं०- 465 / XXIV-A-2/2025-26 / 2007 टी०पी० दिनांक 22/4 अक्टूबर 2025 का निर्देश

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविष्टान्त राशियाँ	वर्तमान के दौरान की गई राशियाँ और अन्य
अनुदान संख्या-11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायित योजना		
01 01	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएमओपोषण)(90% केओपीओ)		
71	केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश		
अनुदान संख्या-30 (एस०सी०एस०पी०)		933.58	112.52
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्याह्न का भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायित योजना		
01 01	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएमओपोषण)(90% केओपीओ)		
71	केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश		
अनुदान संख्या-31 (टी०एस०पी०)		308.86	53.57
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्याह्न का भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायित योजना		
01 01	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएमओपोषण)(90% केओपीओ)		
71	केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश		
कुल योग राज्यांश (अनुदान सँ० 11 + 30 + 31)		37.23	10.46
		1279.47	224.55

(रु० दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवे हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु. अधिकारी

प्रेषक,

ई०मेल/पंजीकृत

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा।

पत्रांक— नियोजन 04/ 4521-25 /विद्युत संयोजन/2025-26 दिनांक 04-अगस्त, 2025

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 T.C. दिनांक 09 अप्रैल, 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रु०- 01.00 करोड़ (रु० एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/4375-81/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 01 अगस्त, 2025 के द्वारा 22-कार्यालय व्यय में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को विद्युत संयोजन कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जहां विद्युत संयोजन किया जाना है	विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि
1.	बागेश्वर	10	82000.00
2.	टिहरी	55	892000.00
3.	पौड़ी	07	233500.00
4.	अल्मोड़ा	01	10000.00
कुल योग:-		73	1217500.00

(रु० बारह लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र)

- उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग के अन्तर्गत तैयार किए गए आंगणनों के आधार पर आवंटित की गयी है, विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से तत्काल प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- विद्युत संयोजन प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- यदि उक्त विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही अन्य मदों से कर ली गयी हो तथा यदि विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयों में समायोजित हो रहे हों तो कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित न की जाय तथा अवशेष धनराशि तत्काल समर्पित करते हुये उसकी सूचना से निदेशालय को अवगत करायें।

- विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष विद्युत संयोजित विद्यालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

संलग्नक:- विद्यालयों की सूची।

भवदीय
(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 4521-25 / विद्युत संयोजन / 2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, (प्रा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	आवंटित धनराशि
1	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० खलझूनी प्रा०	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	4000.00
2	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० खलपट्टा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	26	4000.00
3	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० पटाक	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	17	4000.00
4	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० ऊनू	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	34	16000.00
5	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० सिमगडी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	6	4000.00
6	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० पातल	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	6	4000.00
7	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० सकन्यूडा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	23	4000.00
8	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० किलपास	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	11	17500.00
9	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० सौडधार	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	5	10000.00
10	बागेश्वर	कपकोट	रा०प्रा०वि० मछियाकोट	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	20	14500.00
कुल योग:-						160	82000.00
11	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बनाली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	29	16000.00
12	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० कंगसाली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	10	20500.00
13	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० कोठगा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	11	4000.00
14	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पड़िया (कन्या)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	99	20500.00
15	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पथियाणा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	5	22000.00
16	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० बनाली	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	29	2500.00
17	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० कंगसाली	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	8	2500.00
18	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० कोठगा	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	5	10000.00
19	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० पड़िया (कन्या)	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	8	5500.00
20	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० डांगी घोडपुर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	31	22000.00
21	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० गरवाणगांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	28	2500.00
22	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० मुखेम (कन्या)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	19000.00
23	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० मुखेम (नवीन)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	22000.00
24	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० घण्डियालगांव	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	27	16000.00
25	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० पोखरी	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	48	11500.00
26	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बेल्यागांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	11	2500.00
27	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० ग्वाड	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	40000.00
28	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० जणगी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	8	5500.00
29	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० क्यारकी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	15	2500.00
30	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० ओखलाखाल (अनु०)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	38	7000.00
31	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० झांझरधार	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	21	4000.00
32	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० कण्डियालगांव (क०)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	14	11500.00


निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	आवृत्ति धनराशि
33	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० कुनगाड खेतपाल	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	10	43000.00
34	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० महरगांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	36	25000.00
35	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पण्डरगांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	13	38500.00
36	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बागी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	20	7000.00
37	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बेथाण	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	25	2500.00
38	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० भैतला	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	13	17500.00
39	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० भरपूर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	10000.00
40	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० डोडग थापला	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	13	11500.00
41	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० त्वारखा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	32	35500.00
42	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पुजारगांव (रौणद)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	20	47500.00
43	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० डोडग थापला	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	9	16000.00
44	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० त्वारखा	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	21	16000.00
45	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बौसाडी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	19	16000.00
46	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पोखरियालगांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	15	43000.00
47	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० बिजपुर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	9	41500.00
48	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० पट्टूडी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	9	16000.00
49	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० खोलगाड (वल्ला)	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	13	16000.00
50	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० खेत	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	18	11500.00
51	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० आबकी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	31000.00
52	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० भरपूरियागांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	16	44500.00
53	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० कुडी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	2500.00
54	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० भरपूरियागांव	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	2500.00
55	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० किरोड	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	2500.00
56	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० बागी गदना	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	10	2500.00
57	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० गौमुख	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	8	2500.00
58	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० सिमलासू	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	2500.00
59	टिहरी	देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० सिमलासू	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	9	2500.00
60	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० कोट सांदणा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	11	2500.00
61	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० गजेली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	6	2500.00
62	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० बोगा रामपुर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	2500.00
63	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० कन्या हिण्डोलाखाल	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	15	34000.00
64	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० पबेला	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	12	2500.00
65	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० समदर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	71500.00
कुल योग:-						929	892000.00


 निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा जनसंसाधन

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	आवंटित धनराशि
66	पौड़ी	कल्जीखाल	रा०प्रा०वि० भटटीगाँव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	15	32500.00
67	पौड़ी	पाबौ	रा० प्रा० वि०चौफण्डाखाल	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	5	13000.00
68	पौड़ी	पाबौ	रा० प्रा० वि० चौडिख	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	5	20500.00
69	पौड़ी	पाबौ	रा०प्रा०वि०चोरकण्डी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	6	64000.00
70	पौड़ी	पाबौ	रा०प्रा०वि० बूंगा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	14	28000.00
71	पौड़ी	पोखडा	रा०प्रा०वि० मालकोट	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	7	73000.00
72	पौड़ी	पोखडा	रा०प्रा०वि० ड्वीला तलला	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	10	2500.00
कुल योग:-						62	233500.00
73	अल्मोड़ा	हवालबाग	रा०प्रा०वि० खौड़ी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	14	10000.00
कुल योग:-						14	10000.00
महायोग:-						1165	1217500.00

(रुपये बारह लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

ननूरखेडा देहरादून

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर,
पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक— अर्थ-2/4345-81 /5क(02)/04/2025-26 दिनांक: 01 अगस्त, 2025
विषय— वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 1217.5 हजार (रु0 बारह लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007 टी0सी0—1 दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,
(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक

पृ0सं0-अर्थ-2/ 4375-81

/5क(02)/04/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

ई०मेल/पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
पौड़ी, टिहरी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 8685-57 / विद्युत संयोजन/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर, 2025
विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 T.C. दिनांक 09 अप्रैल, 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रू०- 01.00 करोड़ (रू० एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या- अर्थ-2/227739/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के द्वारा 22-कार्यालय व्यय में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को विद्युत संयोजन कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जहां विद्युत संयोजन किया जाना है	विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि
1.	पौड़ी	03	223500.00
2.	टिहरी	107	267500.00
कुल योग:-		110	491000.00

(रू० चार लाख इक्यानबे हजार मात्र)

- उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तरखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग के अन्तर्गत तैयार किए गए आंगणनों के आधार पर आवंटित की गयी है, विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से तत्काल प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- विद्युत संयोजन प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- यदि उक्त विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही अन्य मदों से कर ली गयी हो तथा यदि विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयों में समायोजित हो रहे हों तो कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित न की जाय तथा अवशेष धनराशि तत्काल समर्पित करते हुये उसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराये।

- विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष विद्युत संयोजित विद्यालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

संलग्नक:- विद्यालयों की सूची।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 8655-57 / विद्युत संयोजन / 2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

ई०मेल/पंजीकृत

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,

ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा,

पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर।

पत्रांक- नियोजन 04/ 12077-80 /विद्युत संयोजन/2025-26 दिनांक 14 फरवरी, 2026

विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 T.C. दिनांक 09 अप्रैल, 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रु०- 01.00 करोड़ (रु० एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या- अर्थ-2/252177/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 16 फरवरी, 2026 के द्वारा 22-कार्यालय व्यय में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को विद्युत संयोजन कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जहां विद्युत संयोजन किया जाना है	विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि
1.	पौड़ी	18	898500.00
2.	अल्मोड़ा	02	168500.00
3.	रुद्रप्रयाग	02	47000.00
4.	उत्तरकाशी	02	358500.00
5.	बागेश्वर	01	11500.00
कुल योग:-		25	1484000.00

(रु० चौदह लाख चौरासी हजार मात्र)

- उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग के अन्तर्गत तैयार किए गए आगणनों के आधार पर आवंटित की गयी है, विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से तत्काल प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- विद्युत संयोजन प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- यदि उक्त विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही अन्य मदों से कर ली गयी हों अथवा विद्यालय की छात्र संख्या शून्य हो तो कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित न की जाय

तथा अवशेष धनराशि तत्काल समर्पित करते हुये उसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराये।

➤ विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष विद्युत संयोजित विद्यालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

संलग्नक:- विद्यालयों की सूची।

भवदीय


(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12077-80 / विद्युत संयोजन / 2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।



(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कार्यदायी संस्था का नाम	धनराशि
1	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 धिमण्डिया	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	4000.00
2	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 डडोली तल्ली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	4000.00
3	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 धारकोट	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	4000.00
4	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 बांकुडा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	134500.00
5	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 डुमणीकोट	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	4000.00
6	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 डांग	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	269500.00
7	पौड़ी	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 डडोली मल्ली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	4000.00
8	पौड़ी	दुगडडा	रा0प्रा0वि0 सकन्याणी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	112000.00
9	पौड़ी	दुगडडा	रा0प्रा0वि0 स्यालकण्डी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	59500.00
10	पौड़ी	पाबौ	रा0प्रा0वि0 केशरपुर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	26500.00
11	पौड़ी	पाबौ	रा0प्रा0वि0 सपलोड़ी	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	2500.00
12	पौड़ी	पाबौ	रा0प्रा0वि0 जबरोली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	14500.00
13	पौड़ी	पाबौ	रा0प्रा0वि0 भंवाई	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	71500.00
14	पौड़ी	बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 रतकोट	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	46000.00
15	पौड़ी	बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 पटेलधार	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	2500.00
16	पौड़ी	बीरौखाल	रा0प्रा0वि0 बन्दरखोली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	59500.00
17	पौड़ी	पौड़ी	रा0प्रा0वि0 कडाकोट	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	55000.00
18	पौड़ी	पोखडा	रा0प्रा0वि0 कोलाखाल बगोडा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	25000.00
योग:-						898500.00
19	अल्मोडा	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 खडकोली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	137500.00
20	अल्मोडा	धौलादेवी	रा0उ0प्रा0वि0 गिरचौला	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	31000.00
योग:-						168500.00
21	रूद्रप्रयाग	अगरत्यूमुनि	रा0प्रा0वि0 भटवाडी डुगर	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	22000.00
22	रूद्रप्रयाग	अगरत्यूमुनि	रा0प्रा0वि0 खल्या	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	25000.00
योग:-						47000.00
23	उत्तरकाशी	डुण्डा	रा0उ0प्रा0वि0 उपरीकोट	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	140500.00
24	उत्तरकाशी	डुण्डा	रा0उ0प्रा0वि0 खट्टूखाल	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	218000.00
योग:-						358500.00
25	बागेश्वर	कपकोट	रा0प्रा0वि0 डौला	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	11500.00
योग:-						11500.00
कुल योग:-						1484000.00

(रुपये चौदह लाख चौरासी हजार मात्र)



निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा देहरादून

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर,
पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक-

अर्थ-2/ 252177

/5क(02)/04/2025-26 दिनांक: 16 फरवरी, 2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 1484 हजार (रु0 चौदह लाख चौरासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-1 दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।
- 4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।
- 5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- 6- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
- 7- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
- 8- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

-2-

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामों डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by
Birendra Kumar

भवदीय,

Date: 16-02-2026

(बीरेन्द्र कुमार)

16:37:44

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 252177 /5क(02)/04/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

ई०मेल / पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रारम्भिक शिक्षा) टिहरी, पौड़ी।

पत्रांक— नियोजन 04/13267-70 / विद्युत संयोजन/2025-26 दिनांक 20 मार्च, 2026
विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 T.C. दिनांक 09 अप्रैल, 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रु०- 01.00 करोड़ (रु० एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या- अर्थ-2/12952-58/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 16 मार्च, 2026 के द्वारा 22-कार्यालय व्यय में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को विद्युत संयोजन कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जहां विद्युत संयोजन किया जाना है	विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि
1.	टिहरी	07	113500.00
2.	पौड़ी	01	34000.00
कुल योग:-		08	147500.00

(रूपये एक लाख सैंतालीस हजार पांच सौ मात्र)

- उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग के अन्तर्गत तैयार किए गए आगणनों के आधार पर आवंटित की गयी है, विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से तत्काल प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- विद्युत संयोजन प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- यदि उक्त विद्यालयों में विद्युत संयोजन की कार्यवाही अन्य मदों से कर ली गयी हो अथवा विद्यालय की छात्र संख्या शून्य हो तो कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित न की जाय तथा अवशेष धनराशि तत्काल समर्पित करते हुये उसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराये।

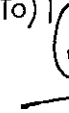
➤ विद्युत संयोजन हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष विद्युत संयोजित विद्यालयों की प्रगति
आख्या से निदेशालय को 31 मार्च, 2026 तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।
संलग्नक:- विद्यालयों की सूची।


भवदीय
25/3/26
(कंचन देवराड़ी)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 13267-70 / विद्युत संयोजन / 2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।


25/3/26
(कंचन देवराड़ी)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

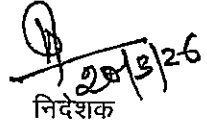
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2025-

26

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कार्यदायी संस्था का नाम	धनराशि
1	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 हेरवालगांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	28000.00
2	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 सुजडागांव	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	40000.00
3	टिहरी	नैरेन्द्रनगर	रा0प्रा0वि0 अगरियाणा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	2500.00
4	टिहरी	नैरेन्द्रनगर	रा0प्रा0वि0 फडिक्यों	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	2500.00
5	टिहरी	नैरेन्द्रनगर	रा0उ0प्रा0वि0 फडिक्यों	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	19000.00
6	टिहरी	नैरेन्द्रनगर	रा0उ0प्रा0वि0 लवा	उच्च प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	2500.00
7	टिहरी	नैरेन्द्रनगर	रा0प्रा0वि0 जखोली	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	19000.00
योग:-						113500.00
8	पौड़ी	यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 खेडा	प्राथमिक	यू०पी०सी०एल०	34000.00
योग:-						34000.00
कुल योग:-						147500.00

(रुपये एक लाख सैंतालीस हजार पांच सौ मात्र)


निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा देहरादून

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नमोस्त्री, टिहरी
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक-

अर्थ-2/

/5क(02)/04/2025-26 दिनांक: 16 मार्च, 2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22-कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 147.5 हजार (रु0 एक लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-। दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/12952-58 /5क(02)/04/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली, देहरादून।

पत्रांक- नियोजन 04/13634-38

/अनु०/2025-26 दिनांक 27 मार्च, 2026

विषय-

राजकीय प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय मरम्मत (अनुरक्षण) कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/13342-48/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 23 मार्च, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय मरम्मत हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	चमोली	नन्दानगर	रा०प्रा०वि० दरगेड़	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	10	245000.00
2	चमोली	नन्दानगर	रा०प्रा०वि० सुगई	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	4	245000.00
3	चमोली	नन्दानगर	रा०प्रा०वि० उस्तोली	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	31	239000.00
4	चमोली	नन्दानगर	रा०प्रा०वि० सैंती	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	20	227000.00
5	चमोली	नन्दानगर	रा०प्रा०वि० सुगड़	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	33	215000.00
6	चमोली	नन्दानगर	रा०प्रा०वि० नारंगी	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० नन्दानगर चमोली	22	172000.00
7	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० ढाक	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० चमोली	26	200000.00
8	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० रूपालगवाड़	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० चमोली	36	200000.00
9	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० गीरा बांसा	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० चमोली	8	200000.00
10	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० जखोला	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० चमोली	17	200000.00
11	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० हेलंग द्वितीय	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० चमोली	11	200000.00
12	चमोली	दशोली	रा०प्रा०वि० खैनुरी	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	32	200000.00

2026

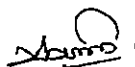
13	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि0 गोलिम	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	4	200000.00
14	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि0 बराली	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	21	200000.00
15	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि0 बौला	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	9	200000.00
16	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि0 धारकोट	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	19	200000.00
17	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि0 सेमडुग्रा	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	28	222000.00
18	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि0 चलथर	शौचायल मरम्मत कार्य	सिंचाई खण्ड चमोली	20	197000.00
जनपद का योग						351	3762000.00
19	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 कुंजा	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० देहरादून	75	109000.00
20	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 मेंगवाला	शौचायल मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० देहरादून	44	85000.00
जनपद का योग						119	194000.00
महायोग						470	3956000.00

(कुल योग:- रुपये उनतालीस लाख छप्पन हजार मात्र)

- विद्यालयों में शौचाल मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल शौचालय मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से शौचालय मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(नागेन्द्र बत्वाल)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/13634-38

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
7. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।


संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली, देहरादून।

पत्रांक- अर्थ-2/ 13342-48

/5क(02)/13/2025-26

दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना अन्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु0 3956 हजार (रुपये उनतालीस लाख छप्पन हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:-

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनराशि नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद-विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।
- 4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

- 7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।
- 8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- 9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
- 10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।
- 11-निर्धारित एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।
- 13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आईडी के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न- आवंटन आईडी।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०-अर्थ-2/13342-48 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 10-65-69 /अनु०/2025-26 दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/241385/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 13 जनवरी, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

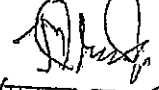
क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	पौड़ी	पाबौ	रा०प्रा०वि० भैंसाडा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पौड़ी	07	992000.00
जनपद का योग						07	992000.00

(कुल योग:— रुपये नौ लाख बयानव्वे हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

➤ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



डॉ० (मुकुल कुमार सती) 26
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 107665-10765-69 /अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



डॉ० (मुकुल कुमार सती) 19/1/26
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पत्रांक— नियोजन 04/10803-07

/अनु०/2025-26 दिनांक 20 जनवरी, 2026

विषय—

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/241385/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 13 जनवरी, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० पीपली	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० डीडीहाट	11	870000.00
2	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०प्रा०वि० लेजमकौली	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० डीडीहाट	11	970000.00
3	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० सुरौली	शौचालय मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० डीडीहाट	5	170000.00
4	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० पानागढ़	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० डीडीहाट	12	870000.00
5	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०क०उ०प्रा० वि० सुरौली	शौचालय मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० डीडीहाट	5	150000.00
6	पिथौरागढ़	कनालीछीना	रा०प्रा०वि० कनालीछीना	शौचालय मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० डीडीहाट	16	190000.00
7	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा०प्रा०वि० गिठगडा	मरम्मत कार्य	पेयजन निर्माण निगम पिथौरागढ़	9	980000.00
8	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा०प्रा०वि० जौरासी	मरम्मत कार्य	पेयजन निर्माण निगम पिथौरागढ़	8	987000.00
9	पिथौरागढ़	बिण	रा०प्रा०वि० सेरीकाण्डा	मरम्मत कार्य	पेयजन निर्माण निगम पिथौरागढ़	7	986000.00
जनपद का योग						84	6173000.00

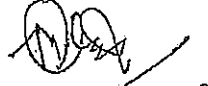
(कुल योग:— रुपये इकसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो

तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।

- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
 - आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
 - विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



डॉ० (मुकुल कुमार सती)
निदेशक

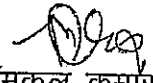
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 1083-07

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



डॉ० (मुकुल कुमार सती)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

प्रंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 10868 - 12 /अनु०/2025-26 दिनांक 20 जनवरी, 2026
विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/241385 /5क(02)/13/2025-26 दिनांक 13 जनवरी, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	टिहरी	भिलंगना	रा०प्रा०वि० मेड	मरम्मत कार्य	प्रा०नि०वि० घनसाली	40	641000.00
2	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बागी	मरम्मत कार्य	प्रा०नि०वि० टिहरी	20	206000.00
जनपद का योग						60	847000.00

(कुल योग:— रुपये आठ लाख सैंतालीस हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

➤ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



डॉ० (मुकुल कुमार सती)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 10808-12

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



डॉ० (मुकुल कुमार सती)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में;

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक— नियोजन C4/ 10813-14

/अनु०/2025-26 दिनांक 20 जनवरी, 2023

विषय—

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

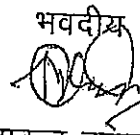
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/241385/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 13 जनवरी, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० डाई नं० कोपा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	43	964000.00
2	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० डोंगपुरी	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	145	992000.00
3	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० कोपाबसन्ता	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	55	967000.00
4	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० कैनाल कालोनी नं० 02	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	8	973000.00
5	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० मजराशीला	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	153	956000.00
6	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० अलखदेवा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	7	987000.00
7	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० रतनपुरा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	12	982000.00
8	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०उ०प्रा०वि० बराखेडा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	115	998000.00
9	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०उ०प्रा०वि० बरीराई	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	40	982000.00
10	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०उ०प्रा०वि० मकरन्दपुर	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	36	986000.00
11	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०उ०प्रा०वि० कोपा मुनस्यारी	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	20	969000.00
जनपद का योग						634	10756000.00

(कुल योग:— रुपये एक करोड़ सात लाख छप्पन हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
 - विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
 - आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
 - विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय
 18.1.26

डॉ० (मुकुल कुमार सती)
 निदेशक

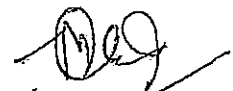
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 10813-14

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



डॉ० (मुकुल कुमार सती)
 निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी, पिथौरागढ़,
टिहरी, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक—

अर्थ—2 /

— / 5क(02) / 13 / 2025—26

दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषय—

वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298 / XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51—अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से ₹0 18768 हजार (रुपये एक करोड़ सतासी लाख अड़सठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:—1/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनराशि आवंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद—विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।
- 4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।
- 7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11-निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,

BIRENDRA KUMAR

Date: 13-01-2026

13:49:51

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 241385 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

ज़िला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक- नियोजन 04/ 9545-49

/अनु०/2025-26 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

विषय-

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/9171-77/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	देहरादून	चकराता	रा०प्रा०वि० समोह	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून	13	889000.00
2	देहरादून	चकराता	रा०प्रा०वि० हेडसू	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून	17	700000.00
3	देहरादून	विकास नगर	रा०प्रा०वि० झाडोवाला	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून	26	999000.00
4	देहरादून	विकास नगर	श०रा०पु०रा० उ०प्रा०वि० बाडवाला	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून	135	1000000.00
5	देहरादून	विकास नगर	रा०प्रा०वि० जीवनगढ	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून	84	991000.00
6	देहरादून	विकास नगर	रा०प्रा०वि० कुंजा	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग देहरादून	75	947000.00
जनपद का योग						350	5526000.00

(कुल योग:- रुपये पचपन लाख छब्बीस हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।

(Signature)

- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
 - आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
 - विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 9545-49

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पत्रांक— नियोजन 04/ 9550-54 /अनु०/2025-26 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/9171-77/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रा०उ०प्रा०वि० गिरगांव	भवन मरम्मत	पेयजल निगम पिथौरागढ़	10	997000.00
जनपद का योग						10	997000.00

(कुल योग:— रुपये नौ लाख सत्तानवे हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



➤ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय
14/10/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 9550-54

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्य की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 9555-59

/अनु०/2025-26 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

विषय—

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/9171-77/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	टिहरी	थौलधार	रा०प्रा०वि० सेमल्टा	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग टिहरी	8	998000.00
2	टिहरी	थौलधार	रा०उ०प्रा०वि० नेरी जुवा	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग टिहरी	11	995000.00
जनपद का योग						19	1993000.00

(कुल योग:— रुपये उन्नीस लाख तिरानवे हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय
17/10/25

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

पृ०सं०/नियोजन 04/. 9555-59

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली।

पत्रांक— नियोजन 04 / 9550-64 / अनु० / 2025-26 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/9171-77/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	चमोली	दशोली	रा०उ०प्रा०वि० नैलकुड़ाव	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग चमोली	15	997000.00
जनपद का योग						15	997000.00

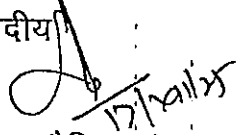
(कुल योग:- रुपये नौ लाख सत्तानवे हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyोजन मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 9560-64

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 9565-69

/अनु०/2025-26 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या—अर्थ—2/9171-77/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या—11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51—अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	पौड़ी	थलीसैण	रा०प्रा०वि० पोखरी चौथान	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग पौड़ी	8	998000.00
2	पौड़ी	पाबौ	रा०प्रा०वि० विजयनगर	भवन मरम्मत	ग्रामीण निर्माण विभाग पौड़ी	7	961000.00
जनपद का योग						15	1959000.00

(कुल योग:— रुपये उन्नीस लाख उनसठ हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

➤ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय



(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 9565-69

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

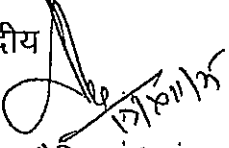


(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय


(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

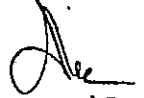
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 9570-74

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, पिथौरागढ़,
टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक-

अर्थ-2 /

/5क(02)/13/2025-26

दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु0 13427 हजार (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:-

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद-विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6- कार्य पर मदवार उत्तना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दशों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11-निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामों डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 9171-17 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
चमोली ।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 12725-31 / बजट(139)/2025-26 दिनांक 09 मार्च, 2026
विषय:- जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-176/XXIV-A-2/2026-03/2025 (E-91992) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 91.68 लाख (रूपये इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 91.68 लाख (रूपये इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 स0	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 रायगढ़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
2	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 करछों	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
योग					91.68

(रूपये इक्यानबे लाख अड़सठ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक,

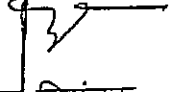
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/

/बजट (139)/2025-26 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चमोली।
6. गार्ड फाइल।


वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेमक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

मान्य,
देहरादून, दिनांक 02 फ़रवरी, 2026

विषय: जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- नियोजन(04)/8885/आं0शासन/2025-26 दिनांक 24.12.2025 एवं नियोजन(04)/11236/आं0शासन/2025-26 दिनांक 31.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरणानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 91,68,000/- (रु० इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	जनपद	वि०ख०	विद्यालय	कार्यदायी संस्था	कार्य	लगत (लाख में)
1.	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि० रायगढ़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
2.	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि० करछों	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
योग						91.68

- सम्बन्धित कार्य केवल उसी दशा में प्रारम्भ किया जाय जब उक्त वर्णित विद्यालयों हेतु आवश्यक निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- (vi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/गानधिन्न पर राक्षग अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- (vii) उगता की डिगिटेडिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- (viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दसों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
- (ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (x) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
- (xi) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (xiii) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं०-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं०-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiv) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- (xv) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे०आ०-सा०नि०), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
- (xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xvii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- (xviii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- (xix) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी०एम०-०८ पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की ०५ तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं०-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा 2 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य

शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-63-गृह निर्माण मद 1/375978/26
को नामे डाला जायेगा।

3. उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-130/XXVII(6)/430/ एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक 1/375107/2026 दिनांक 26.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,
Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2026
16:04:28 (एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या: / XXI V-A-2 / 2026-03 / 2025(E-91992)तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
04. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
05. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
07. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), चमोली उत्तराखण्ड।
08. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
09. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
10. गार्ड फाइल।

Digitally signed by पूरन गिरि,
Pooran Giri
Date: 02-03-2026
16:30:41 (पूरन गिरि)
उप सचिव।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
चमोली ।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 12-7-32-37 / बजट(139)/2025-26 दिनांक-09 मार्च, 2026
विषय:- जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर, दशोली के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-174/XXIV-A-2/2026-03/2025 (E-97921) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर, दशोली के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 77.11 लाख (रूपये सत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त 60% धनराशि 46.266 लाख (रूपये छियालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 46.266 लाख (रूपये छियालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) को आपके निर्वहन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12-7-32-37 / बजट (139)/2025-26 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चमोली।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 मार्च
फरवरी, 2026

विषय:- राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर, दशोली चमोली, के भवन पुनर्निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- नियोजन(04)/10263/आं0शासन/2025-26 दिनांक 06.01.2026 एवं नियोजन(04)/10986/आं0शासन/2025-26 दिनांक 23.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरणानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर, दशोली के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 77,11,000/- (रु0 सत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त 60% धनराशि ₹ 46,26,600/- (रु0 छियालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद	वि०ख०	विद्यालय	कार्यदायी संस्था	कार्य	कुल लागत (लाख में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि (60%)
1.	चमोली	दशोली	रा०प्रा०वि० सुभाषनगर	ग्रामीण निर्माण विभाग	भवन पुनर्निर्माण	77.11	46.266
योग							46.266

(छियालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र)

- अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- स्वीकृत/धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा, तथा धनराशि को पी0एल0ए/डिपोजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन आख्या फॉटोग्राफ्स सहित तीन प्रतियों में निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की डुप्लीकेसी न हो।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।

7. निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
 8. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
 9. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
 10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 11. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/287566/E-79713/09(150) 2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
 13. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे0आ0-सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
 14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण-53-वृहद निर्माण मद के नामे खाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक 1/374591/2026 दिनांक 25.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।
- संलग्नक: आवंटन आई0डी0।**

भवदीय,
Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2026
11:16:28 (एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या: / XXI V-A-2 / 2026-03 / 2025(E-97921)तदुद्दिनोक्ति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Pooran Giri
Date: 02-03-2026
11:27:01 उप सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)

बागेश्वर।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 11250-56 /बजट(139)/2025-26 दिनांक 02 फरवरी, 2026
विषय:- राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा-कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-83/XXIV-A-2/2026-08/2024(E-69743) दिनांक 30 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा-कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रु0 42.80 लाख (रुपये बयालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 42.80 लाख (रुपये बयालीस लाख अस्सी हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-524/XXIV-A-2/08/2024 (E-69743) दिनांक 11.12.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 11250-56 /बजट (139)/2025-26 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, (बेसिक शिक्षा अनुभाग-02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या:- 83 / XXIV-A-2/2026-08/2024(E-69743)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय: राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर, के चार कक्षा-कक्षाओं एवं हॉल का निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-नियोजन(04)/11061/आ0शासन/2025-26 दिनांक 24.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 करोड़/-(रु0 बीस करोड़) में से राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर, के चार कक्षा-कक्षाओं एवं हॉल का निर्माण कार्य की अवशेष कुल धनराशि रु 42,80,000/-(रु0 बयालीस लाख अस्सी हजार मात्र) कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-524/XXIV-A-2/08/2024(E-69743) दिनांक 11.12.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमवली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।)

भवदीय,

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal

Date: 30-01-2026
13:22:42

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

-2-

संख्या:- /XXIV-A-2/2026-08/2024(E-69743)तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Pooran अग्रवाल से,
Date: 30-01-2026
16:08:02

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)

चम्पावत।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 8015-21 /बजट(139)/2025-26 दिनांक 13 नवम्बर, 2025
 विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व
 जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण
 किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-508/XXIV-A-2/2025-09/2024(E-76650) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या -156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रु0 30.56 लाख (रूपये तीस लाख छप्पन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 30.56 लाख (रूपये तीस लाख छप्पन हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-536/XXIV-A-2/09/2024 (E-76650) दिनांक 18.11.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 8015-21

/बजट (139)/2025-26 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, (बेसिक शिक्षा अनुभाग-02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चम्पावत।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या:-508 / XXIV-A-2/2025-09 / 2024(E-76650)

D.D. अर्ब/निमोजन

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 10 अक्टूबर, 2025

विषय: मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-नियोजन(04)/7101/आ0शासन/2025-26 दिनांक 16.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 करोड़/-(रु0 बीस करोड़) में से मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किस्त (40%) के रूप में कुल अवशेष धनराशि ₹ 30,56,000/-(रु0 तीस लाख छप्पन हजार मात्र) कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-536/XXIV-A-2/09/2024(E-76650) दिनांक 18.11.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09(150) 2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण के नामे खाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,
Madan Mohan Semwal
Date: 10-11-2025 एम.एम. सेमवाल)
12:36:10 अपर सचिव।

क्रमशः.....2

-2-

सं० () / XXIV-A-2/2025-09 / 2024(E-76650) तदुद्दिष्टः।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH BONAL
Date: 10-11-2025
15:14:41

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)

चम्पावत।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 8022-28 /बजट(139)/2025-26 दिनांक 13 नवम्बर, 2025
 विषय:- राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर, जनपद चम्पावत के भवन पुनर्निर्माण हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति/धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-507/XXIV-A-2/2025-22/2023(E-59328) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भजनपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रू० 29.80 लाख (रुपये उनतीस लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू० 29.80 लाख (रुपये उनतीस लाख अस्सी हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं०-643/XXIV-A-2/23-22/2023 (E-59328) दिनांक 04.10.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं०/नियोजन(04)/ 8022-28

/बजट (139)/2025-26

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, (बेसिक शिक्षा अनुभाग-02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चम्पावत।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या:- 507/XXIV-A-2/2025-22/2023(E-59328)

DD नियोजन/अव
11/11/25

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 10 अक्टूबर, 2025

विषय: राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर, जनपद चम्पावत के भवन पुनर्निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-नियोजन(04)/7100/आ0शासन/2025-26 दिनांक 16.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्यय में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 करोड़/-(रु0 बीस करोड़) में से राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर, जनपद चम्पावत के भवन पुनर्निर्माण कार्य की कुल अवशेष धनराशि ₹ 29,80,000/- (रु0 उनतीस लाख अस्सी हजार मात्र) कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-643/XXIV-A-2/23-22/2023(E-59328) दिनांक 04.10.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09(150) 2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या-1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,
Madan Mohan Semwal
Date: 10-11-2025 (एम.एम. सेमवाल)
12:34:39 अपर सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या: 136

/XXIV-A-2/2026-14/2025(E-97989)

I/375974/2C

प्रेषक,

1126
06.3.20

एम.एम. सेमवाल,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,

ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

विषय:- राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/भवन मरम्मत एवं कक्षा-कक्ष निर्माण कार्यों के संबंध में।

देहरादून, दिनांक 02 मार्च, 2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- नियोजन(04)/10253/आ0शासन/2025-26 दिनांक 06.01.2026 एवं नियोजन(04)/11776/आ0शासन/2025-26 दिनांक 11.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरणानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग, द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 84,56,600/- (रु० चौरासी लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	जनपद	वि०ख०	विद्यालय	कार्यदायी संस्था	कार्य	कुल लागत (लाख में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	चमोली	पोखरी	रा0उ0प्रा0वि० पोखरी	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	66.61	39.966
2.	चमोली	दशोली	रा0प्रा0वि० सेमडुंग्रा	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	44.60	44.60
योग						111.21	84.566

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे0आ0-सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 1/375106/2026 दिनांक 26.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।
- संलग्नक: आवंटन आई0डी0।**

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2026
16:02:29

भवदीय,

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या: /XXI V-A-2 / 2026-14 / 2025(E-97989)तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Pooran Giri
Date: 02-03-2026
16:29:02

1124
06-3-26

D.D निमोजन

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,

ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 मार्च, 2026

विषय: जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- नियोजन(04)/9885/आं0शासन/2025-26 दिनांक 24.12.2025 एवं नियोजन(04)/11236/आं0शासन/2025-26 दिनांक 31.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरणानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 91,68,000/- (रु० इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	जनपद	वि०ख०	विद्यालय	कार्यदायी संस्था	कार्य	लगत (लाख में)
1.	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० रायगढ़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
2.	चमोली	ज्योतिर्मठ	रा०प्रा०वि० करछों	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
योग						91.68

- सम्बन्धित कार्य केवल उसी दशा में प्रारम्भ किया जाय जब उक्त वर्णित विद्यालयों हेतु आवश्यक निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- (vi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- (vii) उचित की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- (viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
- (ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (x) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्यक्स्थित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
- (xi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (xiii) व्यय में भित्तव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/287568/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiv) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- (xv) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे0आ0-सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
- (xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xvii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- (xviii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी विल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- (xix) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा 2 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य

- (vi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- (vii) उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- (viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
- (ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (x) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
- (xi) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (xiii) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiv) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- (xv) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे0आ0-सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
- (xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xvii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- (xviii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- (xix) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा 2 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य

शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण मद 1/375978/20

के नामे डाला जायेगा।

3. उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-130/XXVII(6)/430/ एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक 1/375107/2026 दिनांक 26.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।
संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,
Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2026
16:04:28 (एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या: ✓ / XXI V-A-2 / 2026-03 / 2025(E-91992)तदुद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
01. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
 02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
 03. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 04. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
 05. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 06. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
 07. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), चमोली उत्तराखण्ड।
 08. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
 09. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
 10. गार्ड फाइल।

Digitally signed by आशा स,
Pooran Giri
Date: 02-03-2026
16:30:41 (पूरन गिरि)
उप सचिव।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
देहरादून ।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 12718-24 / बजट(139)/2025-26 दिनांक 06 मार्च, 2026
विषय:- जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-177/XXIV-A-2/2026-02/2025 (E-85805) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 69.92 लाख (रूपये उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 69.92 लाख (रूपये उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 स0	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 बट्टीपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	33.05
2	रायपुर	रा0प्रा0वि0 बापूनगर जाखन	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	36.87
योग					69.92

(रूपये उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

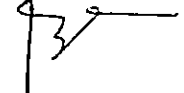
वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ।

पृ0सं0/नियोजन(04)/

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
/बजट (139)/2025-26 उक्तदिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।



वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रोपक,

रविनाथ रागन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शारान।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 मार्च, फरवरी, 2028।

विषय:- जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- नियोजन(04)/9150/आंगणन शासन/2025-26 दिनांक 09.12.2025 एवं नियोजन(04)/11162/आंगणन शासन/2025-26 दिनांक 30.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न तालिकानुसार जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 69,92,000/- (रु० उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1.	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 बंदीपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	33.05
2.	रायपुर	रा0प्रा0वि0 बापूनगर जाखन	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	36.87
योग					69.92

- सम्बन्धित कार्य केवल उसी दशा में प्रारम्भ किया जाय जब उक्त वर्णित विद्यालयों हेतु आवश्यक निष्प्रयोज्यता प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।

- (ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (x) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्यन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
- (xi) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (xiii) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं0-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiv) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- (xv) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे0आ0-सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण सञ्ज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
- (xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xvii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- (xviii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- (xix) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

संख्या-130/XXVII(6)/430/ एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 1/374570/2026 दिनांक 25.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।
संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by

RAVINATH RAMAN

Date: 02-03-2026

16:05:35

(रविनाथ रामन)

सचिव।

संख्या: — / XXI V-A-2 / 2026-02 / 2025(E-85805)तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
04. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
07. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
08. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), देहरादून उत्तराखण्ड।
09. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by

Pooran Giri

Date: 02-03-2026

16:31:46

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
चमोली ।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 12738-44 / बजट(139)/2025-26 दिनांक 09 मार्च, 2026
विषय:- जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण
कार्यों की स्वीकृति/धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्या-136/XXIV-A-2/2026-14/2025 (E-97989) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 84.566 लाख (रूपये चौरासी लाख छप्पन हजार छ सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 84.566 लाख (रूपये चौरासी लाख छप्पन हजार छ सौ मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० स०	वि०ख०	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	कुल लागत (लाख में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि (लाख में)
1	पोखरी	रा0उ0प्रा0वि० पोखरी	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	66.61	39.966
2	दशोली	रा0प्रा0वि० सेमडुंग्रा	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	44.60	44.60
योग					111.21	84.566

(रूपये चौरासी लाख छप्पन हजार छ सौ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01 सामान्य शिक्षा- 201 प्रारम्भिक शिक्षा- 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण के मानक मद-53-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन(04)/ 12738-44 / बजट (139)/2025-26 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चमोली।
6. गार्ड फाइल।


वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 मार्च, 2028

विषय:- राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/भवन मरम्मत एवं कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या- नियोजन(04)/10253/आ0शासन/2025-26 दिनांक 06.01.2026 एवं नियोजन(04)/11776/आ0शासन/2025-26 दिनांक 11.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरणानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग, द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 84,56,600/- (रु० चौरासी लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	जनपद	वि०ख०	विद्यालय	कार्यदायी संस्था	कार्य	कुल लागत (लाख में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	चमोली	पोखरी	रा०उ०प्रा०वि० पोखरी	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	66.61	39.966
2.	चमोली	दशोली	रा०प्रा०वि० सेमडुंग्रा	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	44.60	44.60
योग						111.21	84.566

- अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगण के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगण धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगण/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
- उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- विस्तृत आंगण में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

8. स्वीकृत गिरणी ऑफिस के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (वेगल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व राक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

9. मुख्य राक्षम, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XXIV-219(2008), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. व्यय में गितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं०-1/287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025, शासनादेश सं०-1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2028 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2028 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग-7 (वे०आ०-सा०नि०), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं०-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण-53-वृहद निर्माण मद के नामे खाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 1/375106/2026 दिनांक 26.02.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: आवंटन आईडी0।

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2026
16:02:29

भवदीय,

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या: XXI V-A-2 / 2026-14 / 2025(E-97989) तदुद्दिनोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Pooran Giri
Date: 02-03-2026
16:29:02

सचिव।

प्रेषक,

महत्त्वपूर्ण/समयबद्ध

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़,
टिहरी, पौड़ी, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून,
चम्पावत, नैनीताल, अल्मोड़ा।

पत्रांक: नियोजन 04/ 12-333-37 / लघु निर्माण/2025-26 दिनांक 28 फरवरी, 2026
विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 09-04-2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या— अर्थ-2/255904/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 26 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 52-लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को नवीन बालिका शौचालय निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल विद्यालयों की संख्या जहां बालिका शौचालय आवंटित किये जा रहे हैं	आवंटित बालिका शौचालयों की संख्या	आवंटित कुल धनराशि
1	रुद्रप्रयाग	7	7	2653000.00
2	बागेश्वर	7	7	2653000.00
3	पिथौरागढ़	6	6	2274000.00
4	टिहरी	53	53	20087000.00
5	पौड़ी	2	2	758000.00
6	उधमसिंह नगर	6	6	2274000.00
7	उत्तरकाशी	10	10	3790000.00
8	देहरादून	16	16	6064000.00
9	चम्पावत	5	5	1895000.00
10	नैनीताल	25	25	9475000.00
11	अल्मोड़ा	4	4	1516000.00
	कुल योग:-	141	141	53439000.00

(रुपये पांच करोड़ चौतीस लाख उनतालीस हजार मात्र)

- उक्त धनराशि समग्र शिक्षा अन्तर्गत राज्य के मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में एकल शौचालय निर्माण हेतु तैयार किए गए मॉडल आंगणन के आधार रु० 3.79

लाख (रुपये तीन लाख उनासी हजार मात्र) की दर से आवंटित की गयी है जिनका निर्माण कार्य आगणन में दी गयी ड्रॉईंग के अनुसार तत्काल प्रारम्भ किया जाय।

- बालिका शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- बालिका शौचालय निर्माण हेतु जिन विद्यालयों को धनराशि आवंटित की गयी है यदि उन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य किसी योजना यथा विधायक निधि, जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी०एस०आर० अथवा अन्य किसी योजना से किया जा चुका हो अथवा किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर छात्र संख्या को दृष्टि में रखते हुये किसी अन्य विद्यालय जो बालिका शौचालय विहीन हो का चयन कर उस विद्यालय में शौचालय निर्माण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- बालिका शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

संलग्नक:—

1. समग्र शिक्षा द्वारा गठित मॉडल आगणन एवं मानचित्र।
2. शौचालय निर्माण हेतु विद्यालयों की सूची।

भवदीय


(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12333-37 /लघु निर्माण/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक, (प्रा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।



(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52-लघु निर्माण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एकल बालिका शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक	छात्र संख्या	आवंटित नवीन बालिका शौचालय	अवमुक्त धनराशि
1	रुद्रप्रयाग	जखोली	रा0प्रा0वि0भौर	प्राथमिक	4	1	379000.00
2	रुद्रप्रयाग	जखोली	रा0प्रा0वि0 बजीरा	प्राथमिक	37	1	379000.00
3	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0डुंगर	प्राथमिक	33	1	379000.00
4	रुद्रप्रयाग	जखोली	रा0प्रा0वि0सतनी	प्राथमिक	30	1	379000.00
5	रुद्रप्रयाग	जखोली	रा0प्रा0वि0सौन्दा	प्राथमिक	22	1	379000.00
6	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0क्यूडी दशज्यूला	प्राथमिक	20	1	379000.00
7	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 विजराकोट	प्राथमिक	18	1	379000.00
योग:-					164	7	2653000.00
8	बागेश्वर	कपकोट	रा0प्रा0वि0 कर्मीतोली	प्राथमिक	7	1	379000.00
9	बागेश्वर	कपकोट	रा0प्रा0वि0 पयौतोली	प्राथमिक	11	1	379000.00
10	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0 सिमगड़ी	उच्च प्राथमिक	21	1	379000.00
11	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0-रिखाडी	उच्च प्राथमिक	6	1	379000.00
12	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0-हरकोट	उच्च प्राथमिक	14	1	379000.00
13	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0-शोभाकुण्ड	उच्च प्राथमिक	13	1	379000.00
14	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0खर्ककानातोली	उच्च प्राथमिक	10	1	379000.00
योग:-					82	7	2653000.00
15	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0प्रा0वि0 खेला	प्राथमिक	26	1	379000.00
16	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0उ0प्रा0वि0 जजौली	उच्च प्राथमिक	24	1	379000.00
17	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 पच्चाधार	प्राथमिक	21	1	379000.00
18	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0 प्रा0वि0 ओलियागौव	प्राथमिक	21	1	379000.00
19	पिथौरागढ़	मुनस्वारी	रा0प्रा0वि0 भूलचौड़ा	प्राथमिक	18	1	379000.00
20	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0प्रा0वि0 पलचौड़ा	प्राथमिक	18	1	379000.00
योग:-					128	6	2274000.00
21	टिहरी	जौनपुर	रा0प्रा0वि0 साबली	प्राथमिक	17	1	379000.00
22	टिहरी	जौनपुर	रा0प्रा0वि0 कुदाऊँ	प्राथमिक	10	1	379000.00
23	टिहरी	जौनपुर	रा0प्रा0वि0 ताल	प्राथमिक	6	1	379000.00
24	टिहरी	जौनपुर	रा0प्रा0वि0 परोगी	प्राथमिक	12	1	379000.00
25	टिहरी	थौलधार	रा0प्रा0वि0 सेलूर	प्राथमिक	14	1	379000.00
26	टिहरी	कीर्तिनगर	रा0प्रा0वि0 बडभागी सैण	प्राथमिक	19	1	379000.00
27	टिहरी	नरेन्द्रनगर	रा0प्रा0वि0 जखोली	प्राथमिक	12	1	379000.00
28	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पणसूत	प्राथमिक	4	1	379000.00
29	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 खिट्टा	प्राथमिक	14	1	379000.00
30	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 सेम	प्राथमिक	5	1	379000.00
31	टिहरी	प्रतापनगर	रा0उ0प्रा0वि0सेम	उच्च प्राथमिक	8	1	379000.00
32	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0खराला	प्राथमिक	10	1	379000.00
33	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0खेत	प्राथमिक	20	1	379000.00
34	टिहरी	देवप्रयाग	रा0प्रा0वि0 घौडियाधार	प्राथमिक	5	1	379000.00
35	टिहरी	देवप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 सिलेती	उच्च प्राथमिक	12	1	379000.00
36	टिहरी	कीर्तिनगर	रा0आ0प्रा0वि0 मलेथा	प्राथमिक	32	1	379000.00
37	टिहरी	कीर्तिनगर	रा0उ0प्रा0वि0 देवीधार	उच्च प्राथमिक	17	1	379000.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक	छात्र संख्या	आवृत्ति नवीन बालिका शैवालय	अवमुक्त धनराशि
38	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० जाबर	प्राथमिक	6	1	379000.00
39	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० भैंसाड़ा	प्राथमिक	9	1	379000.00
40	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० बड़भागीसैण	प्राथमिक	19	1	379000.00
41	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० दाल्दुंग	प्राथमिक	6	1	379000.00
42	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० कोटी नवीन	प्राथमिक	12	1	379000.00
43	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० दलक्यारी	प्राथमिक	11	1	379000.00
44	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० सेमली सिरौला	प्राथमिक	20	1	379000.00
45	टिहरी	चम्बा	रा०प्रा०वि० नांरगी	प्राथमिक	12	1	379000.00
46	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० कुआखोली	प्राथमिक	10	1	379000.00
47	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० खरसाडी	प्राथमिक	22	1	379000.00
48	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०उ०प्रा०वि० सुन्दरियाणा	उच्च प्राथमिक	14	1	379000.00
49	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि. चकरेड़ा	प्राथमिक	70	1	379000.00
50	टिहरी	भिलंगना	रा०प्रा०वि० बजिगां	प्राथमिक	55	1	379000.00
51	टिहरी	जौनपुर	रा०उ०प्रा०वि० चामासारी	उच्च प्राथमिक	43	1	379000.00
52	टिहरी	जौनपुर	रा०प्रा०वि० टरु	प्राथमिक	62	1	379000.00
53	टिहरी	जौनपुर	रा०प्रा०वि० हटवालगांव	प्राथमिक	52	1	379000.00
54	टिहरी	नरेन्द्रनगर	रा०उ०प्रा०वि० क्यारा	उच्च प्राथमिक	61	1	379000.00
55	टिहरी	नरेन्द्रनगर	रा०उ०प्रा०वि० तिमली	उच्च प्राथमिक	53	1	379000.00
56	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि. मगरू भिलंग	प्राथमिक	26	1	379000.00
57	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि. कंदरिल	प्राथमिक	34	1	379000.00
58	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि. मंगरू भिलंगना	प्राथमिक	26	1	379000.00
59	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि.इन्द्रोला	प्राथमिक	37	1	379000.00
60	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि.जखाणा	प्राथमिक	40	1	379000.00
61	टिहरी	जौनपुर	रा०प्रा०वि० लामकण्डे	प्राथमिक	23	1	379000.00
62	टिहरी	नरेन्द्रनगर	रा०उ०प्रा०वि० पजैगांव	उच्च प्राथमिक	30	1	379000.00
63	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० ओनालगांव	प्राथमिक	32	1	379000.00
64	टिहरी	चम्बा	रा०प्रा०वि०गजा	प्राथमिक	23	1	379000.00
65	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०उ०प्रा०वि० नैथाणा	उच्च प्राथमिक	27	1	379000.00
66	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० बैजवाड़ी	प्राथमिक	22	1	379000.00
67	टिहरी	जौनपुर	रा०प्रा०वि० नैनगांव	प्राथमिक	20	1	379000.00
68	टिहरी	नरेन्द्रनगर	रा०प्रा०वि०भूलर	प्राथमिक	20	1	379000.00
69	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० सुनखेत	प्राथमिक	19	1	379000.00
70	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० पुजारगांव, भदूरा	प्राथमिक	20	1	379000.00
71	टिहरी	प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० पुजारगांव, भदूरा	उच्च प्राथमिक	20	1	379000.00
72	टिहरी	भिलंगना	रा.प्रा.वि.कोन्ती	प्राथमिक	18	1	379000.00
73	टिहरी	कीर्तिनगर	रा०उ०प्रा०वि० बडोन	प्राथमिक	18	1	379000.00
योग:-					1209	53	20087000.00

2

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार प्राथमिक / उच्च प्राथमिक	छात्र संख्या	आवृत्ति नवीन बालिका शैचालय	अवमुक्त धनराशि
74	पौडी	कोट	रा०प्रा०वि० जामलाखाल	प्राथमिक	23	1	379000.00
75	पौडी	खिरसू	रा०प्रा०वि० नौगांव	प्राथमिक	20	1	379000.00
योग:-					43	2	758000.00
76	उधमसिंह नगर	काशीपुर	रा०प्रा०वि० बांसखेडा खुर्द	प्राथमिक	63	1	379000.00
77	उधमसिंह नगर	जसपुर	रा०प्रा०वि० किसानपुर	प्राथमिक	41	1	379000.00
78	उधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०प्रा०वि० मोतीनगर नं०-2	प्राथमिक	76	1	379000.00
79	उधमसिंह नगर	बाजपुर	रा०प्रा०वि० उझानी जंगल	प्राथमिक	41	1	379000.00
80	उधमसिंह नगर	काशीपुर	रा०उ०प्रा०वि० लाल बहादुर शास्त्री	उच्च प्राथमिक	39	1	379000.00
81	उधमसिंह नगर	जसपुर	रा०प्रा०वि० नझरा बसई	प्राथमिक	34	1	379000.00
योग:-					294	6	2274000.00
82	उत्तराकाशी	चिन्वालीसौड	रा.उ.प्रा.वि. जोगत तल्ला	उच्च प्राथमिक	36	1	379000.00
83	उत्तराकाशी	चिन्वालीसौड	रा.प्रा.वि. टिपरी बिष्ट	प्राथमिक	23	1	379000.00
84	उत्तराकाशी	चिन्वालीसौड	रा.उ.प्रा.वि. कुमराडा	उच्च प्राथमिक	34	1	379000.00
85	उत्तराकाशी	चिन्वालीसौड	रा.प्रा.वि. खाण्ड	प्राथमिक	31	1	379000.00
86	उत्तराकाशी	नौगांव	रा.उ.प्रा.वि. गैर बनाल	उच्च प्राथमिक	26	1	379000.00
87	उत्तराकाशी	नौगांव	रा.प्रा.वि. भाटिया	प्राथमिक	37	1	379000.00
88	उत्तराकाशी	नौगांव	रा.उ.प्रा.वि. भंकोली	उच्च प्राथमिक	24	1	379000.00
89	उत्तराकाशी	पुरोला	रा.प्रा.वि. कन्ताडी	प्राथमिक	25	1	379000.00
90	उत्तराकाशी	पुरोला	रा.उ.प्रा.वि. कन्ताडी	उच्च प्राथमिक	23	1	379000.00
91	उत्तराकाशी	भटवाडी	रा.उ.प्रा.वि. स्याबा	उच्च प्राथमिक	19	1	379000.00
योग:-					278	10	3790000.00
92	देहरादून	डोईवाला	रा०प्रा०वि० सैन चौकी	प्राथमिक	18	1	379000.00
93	देहरादून	डोईवाला	रा०प्रा०वि० वीरपुर खुर्द	प्राथमिक	72	1	379000.00
94	देहरादून	डोईवाला	रा०प्रा०वि० नकरौदा	प्राथमिक	73	1	379000.00
95	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. धौईरापुडिया	प्राथमिक	26	1	379000.00
96	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. चोंदनी	प्राथमिक	25	1	379000.00
97	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. भटाड़	प्राथमिक	27	1	379000.00
98	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. आसोई	प्राथमिक	26	1	379000.00
99	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. सैंज आसोई	प्राथमिक	28	1	379000.00
100	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. डांगूठा	प्राथमिक	35	1	379000.00
101	देहरादून	चकराता	रा.प्रा.वि. नेवल	प्राथमिक	34	1	379000.00
102	देहरादून	विकासनगर	रा०प्रा०वि० डांडीपुर	प्राथमिक	31	1	379000.00
103	देहरादून	सहसपुर	रा.प्रा.वि. गुनियाल गांव	प्राथमिक	24	1	379000.00
104	देहरादून	रायपुर	रा०प्रा०वि० तुन्तोवाला	प्राथमिक	40	1	379000.00
105	देहरादून	डोईवाला	रा०प्रा०वि० बुल्लावाला-3	प्राथमिक	23	1	379000.00
106	देहरादून	रायपुर	रा०उ०प्रा०वि० लडवाकोट	उच्च प्राथमिक	19	1	379000.00
107	देहरादून	रायपुर	रा०उ०प्रा०वि० मिढावाला	उच्च प्राथमिक	19	1	379000.00
योग:-					520	16	6064000.00

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक	छात्र संख्या	आवंटित नवीन बालिका शौचालय	अवमुक्त धनराशि
108	चम्पावत	पाटी	रा०प्रा०वि० चौडामेहता	प्राथमिक	21	1	379000.00
109	चम्पावत	चम्पावत	रा०उ०प्रा०वि० बुडम	उच्च प्राथमिक	29	1	379000.00
110	चम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० दशलेख	प्राथमिक	31	1	379000.00
111	चम्पावत	लोहाघाट	रा०प्रा०वि० महुंवा	प्राथमिक	30	1	379000.00
112	चम्पावत	पाटी	रा०प्रा०वि० आमलिंग	प्राथमिक	18	1	379000.00
योग:-					129	5	1895000.00
113	नैनीताल	धारी	रा०उ०प्रा०वि० सरना	उच्च प्राथमिक	46	1	379000.00
114	नैनीताल	रामनगर	रा०प्रा०वि० सेमलखलिया	प्राथमिक	43	1	379000.00
115	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० मोतीनगर	प्राथमिक	84	1	379000.00
116	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० हरकपुर क्वीरा	प्राथमिक	69	1	379000.00
117	नैनीताल	धारी	रा०प्रा०वि० बुरांसी	प्राथमिक	27	1	379000.00
118	नैनीताल	धारी	रा०प्रा०वि० हरिनगर अक्सोड़ा	प्राथमिक	35	1	379000.00
119	नैनीताल	धारी	रा०प्रा०वि० जलना नीलपहाड़ी	प्राथमिक	29	1	379000.00
120	नैनीताल	धारी	रा०प्रा०वि० अनर्पा	प्राथमिक	26	1	379000.00
121	नैनीताल	धारी	रा०उ०प्रा०वि० नगौनिया पोखरी	उच्च प्राथमिक	36	1	379000.00
122	नैनीताल	धारी	रा०उ०प्रा०वि० अनर्पा	उच्च प्राथमिक	22	1	379000.00
123	नैनीताल	भीमताल	रा०प्रा०वि० ऑडिटरूम	प्राथमिक	30	1	379000.00
124	नैनीताल	रामनगर	रा०प्रा०वि० हिम्मतपुर ब्लाक	प्राथमिक	38	1	379000.00
125	नैनीताल	रामनगर	रा०प्रा०वि० पीपलसाना	प्राथमिक	27	1	379000.00
126	नैनीताल	रामनगर	रा०प्रा०वि० नरसिंगपुर	प्राथमिक	21	1	379000.00
127	नैनीताल	बेतालघाट	रा.प्रा.वि. तल्लागांव	प्राथमिक	26	1	379000.00
128	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० जयपुरबीसा	प्राथमिक	26	1	379000.00
129	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०उ०प्रा०वि० चौंसला	उच्च प्राथमिक	33	1	379000.00
130	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०प्रा०वि० तिवारीनगर	प्राथमिक	28	1	379000.00
131	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०उ०प्रा०वि० बसानी	उच्च प्राथमिक	28	1	379000.00
132	नैनीताल	हल्द्वानी	रा०उ०प्रा०वि० पीपलपड़ाव	उच्च प्राथमिक	30	1	379000.00
133	नैनीताल	कोटाबाग	रा०प्रा०वि० भीमपुर उदयपुरी	प्राथमिक	29	1	379000.00
134	नैनीताल	कोटाबाग	रा०उ०प्रा०वि० सोनजाला	उच्च प्राथमिक	22	1	379000.00
135	नैनीताल	कोटाबाग	रा०उ०प्रा०वि० पाण्डेगाँव	उच्च प्राथमिक	19	1	379000.00
136	नैनीताल	धारी	रा०प्रा०वि० खुटियाखाल	प्राथमिक	18	1	379000.00
137	नैनीताल	बेतालघाट	रा.प्रा.वि. बसगाँव	प्राथमिक	18	1	379000.00
योग:-					810	25	9475000.00
138	अल्मोड़ा	स्याल्दे	रा०प्रा०वि० कुशियाचौन	प्राथमिक	7	1	379000.00
139	अल्मोड़ा	हवालबाग	रा०प्रा०वि० गद्योली	प्राथमिक	24	1	379000.00
140	अल्मोड़ा	स्याल्दे	रा०प्रा०वि० जनरखाणी	प्राथमिक	20	1	379000.00
141	अल्मोड़ा	ताडीखेत	रा०उ०प्रा०वि० खान	उच्च प्राथमिक	19	1	379000.00
योग:-					70	4	1516000.00
महायोग:-					3727	141	53439000.00

(रुपये पांच करोड़ चौतीस लाख उनतालीस हजार मात्र)

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
ग्रा0शि0 शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल,
पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊ0सि0नगर।

पत्रांक— अर्थ-2/ — /5क(02)/04/2025-26 दिनांक 26 फरवरी, 2026
विषय— वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52-लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 53439 हजार (रु0 पाँच करोड़ चौतीस लाख उनतालीस हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-1 दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— निर्माण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8— निर्माण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्माण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13- निर्माण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14- कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

15- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by

भवदीय,

Birendra Kumar

Date: 26-02-2026

(बीरेन्द्र कुमार)

13:29:22

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 255904 /5क(02)/04/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

ई०मेल/पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक— नियोजन(04)/ 12271-75/52-लघु निर्माण/2025-26 दिनांक 27 फरवरी, 2026

विषय— राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुनवा विकासखण्ड चकराता में सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 09-04-2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या— अर्थ—2/253345/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या—11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 52—लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आगणन की धनराशि
1	देहरादून	चकराता	रा०प्रा०वि० दुनवा	सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	ग्रा०नि०वि० देहरादून	863000.00
कुल योगः—						863000.00

(रूपये आठ लाख तिरसठ हजार मात्र)

- विद्यालय के सुरक्षा दीवार कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय के सुरक्षा दीवार कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों एवं योजना से सुरक्षा दीवार कार्य किया जा रहा हो अथवा किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन कार्यदायी संस्था को न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाए।
- विद्यालय का सुरक्षा दीवार कार्य निर्धारित (आगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्था के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालय में सुरक्षा दीवार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उप शिक्षा अधिकारी विद्यालय की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के

प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12271-75 /52-लघु निर्माण/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 2- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
- 3- वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्राथमिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक-

अर्थ-2/ 253345

/5क(02)/04/2025-26 दिनांक: 19 फरवरी, 2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52-लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 863 हजार (रु0 आठ लाख तिरैसठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-1 दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7- निर्माण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8- निर्माण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13- निर्माण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14- कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

15- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अप्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,

Birendra Kumar

Date: 19-02-2026 (बीरेन्द्र कुमार)

15:23:14

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/253345 /5क(02)/04/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रारम्भिक शिक्षा) अल्मोड़ा, चमोली,
चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी,
पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधमसिंह नगर।

पत्रांक— नियोजन(04)/10260-62/ल०नि०-रैम्प रेलिंग/2025-26 दिनांक २४ जनवरी, 2026
विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 09-04-2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या— अर्थ-2/238522/5क(02)/04/2025-26 दिनांक 02 जनवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 52—लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल विद्यालयों की संख्या जिनके लिए धनराशि आवंटित की जा रही है	कुल आवंटित धनराशि (दर 20 हजार रु० प्रति विद्यालय)
1	अल्मोड़ा	232	4640000.00
2	चमोली	94	1880000.00
3	चम्पावत	55	1100000.00
4	देहरादून	44	880000.00
5	हरिद्वार	21	420000.00
6	नैनीताल	101	2020000.00
7	पौड़ी	2	40000.00
8	पिथौरागढ़	121	2420000.00
9	रुद्रप्रयाग	28	560000.00
10	टिहरी	108	2160000.00
11	उधमसिंह नगर	13	260000.00
कुल योग:—		819	16380000.00

(रुपये एक करोड़ तिरेसठ लाख अस्सी हजार मात्र)।

- उक्त धनराशि प्रति विद्यालय, प्रति रैम्प रेलिंग हेतु रू० 20 हजार की दर से आवंटित की गयी है जिनका निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाय।
- रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु विद्यालयों का चयन जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी मांग के आधार पर किया गया है यदि सूची में अंकित विद्यालयों में रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य विधायक निधि, जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी०एस०आर० अथवा अन्य किसी योजना से किया जा चुका हो तथा छात्र संख्या न्यून होने के कारण विद्यालय बन्द हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर अधिक छात्र संख्या को मानक मानते हुए किसी अन्य विद्यालय जो रैम्प रेलिंग विहीन हो का चयन कर उस विद्यालय में रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु अपने स्तर से धनराशि आवंटित करते हुए उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- रैम्प रेलिंग का निर्माण वनभूमि के विद्यालयों में कदापि न किया जाय।
- रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्मित रैम्प रेलिंग की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

संलग्नक:— विद्यालयों की सूची।

भवदीय

(Handwritten signature)
06/10/25

(अजय कुमार नौडियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ नियोजन(04/10260-62 / ल०नि०-रैम्प रेलिंग/2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

(Handwritten signature)

(अजय कुमार नौडियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्राथमिक शिक्षा, अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार,
नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऊँछिनी नगर।

पत्रांक- अर्थ-2/238522 /5क(02)/04/2025-26 दिनांक 02 जनवरी, 2026
विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52-लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 16380 हजार (रु0 एक करोड़ तिरैसठ लाख अस्सी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- किराई भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-1 दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7- निर्माण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8- निर्माण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एम0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13- निर्माण कार्य निर्धारित एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14- कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

15- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by भवदीय,

BIRENDRA KUMAR

Date: 02-01-2026 (बीरेन्द्र कुमार)

12:59:05

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 238522 /5क(02)/04/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

समयबद्ध

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक-नियोजन(04)/ 4176-81 / फर्नीचर/2025-26 दिनांक 22-जुलाई, 2025
विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर क्रय किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ-2/3897-903/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 14 जुलाई, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या- 11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, 21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु जनपदों के प्रस्ताव के आधार पर रु० 22000000.00 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्न विवरणानुसार वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			छात्रों की संख्या जिनके लिये फर्नीचर आवंटित किया जा रहा हो	कुल आवंटित धनराशि
		विद्यालयों की संख्या	छात्रों हेतु आवंटित फर्नीचर	आवंटित धनराशि प्रति छात्र-छात्रा 2.00 हजार रुपये की दर से	विद्यालयों की संख्या	छात्रों हेतु आवंटित फर्नीचर	आवंटित धनराशि प्रति छात्र-छात्रा 2.00 हजार रुपये की दर से		
1	Almora	34	205	410000.00	7	76	152000.00	281	562000.00
2	Bageshwar	11	56	112000.00	2	33	66000.00	89	178000.00
3	Chamoli	13	146	292000.00	3	23	46000.00	169	338000.00
4	Champawat	18	213	426000.00	2	20	40000.00	233	466000.00
5	Dehradun	42	1203	2406000.00	23	662	1324000.00	1865	3730000.00
6	Haridwar	83	3097	6194000.00	23	886	1772000.00	3983	7966000.00
7	Nainital	71	1523	3046000.00	18	415	830000.00	1938	3876000.00
8	Pauri	41	359	718000.00	6	75	150000.00	434	868000.00
9	Pithoragarh	0	0	0.00	2	21	42000.00	21	42000.00
10	Rudrapur	16	112	224000.00	4	66	132000.00	178	356000.00
11	Tehri	47	559	1118000.00	13	169	338000.00	728	1456000.00
12	U.S. Nagar	25	657	1314000.00	9	297	594000.00	954	1908000.00
13	Uttarkashi	5	73	146000.00	3	54	108000.00	127	254000.00
Total		406	8203	16406000.00	115	2797	5594000.00	11000	22000000.00

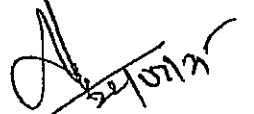
कुल योग:- रु० 22000000.00 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु निम्न प्रक्रियानुसार फर्नीचर क्रय की कार्यवाही की जायेगी:-

1. जनपदों की मांग के क्रम में फर्नीचर विहीन/छात्र संख्या को मानक मानते हुए अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के पत्र संख्या नियोजन (04)/6818-20 /फर्नी0/2022-23 दिनांक 14 जुलाई, 2022 (संलग्न) के अनुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत E-Tender /GEM Portal के माध्यम से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय किया जायेगा।
2. जनपदीय समिति अपने स्तर से फर्नीचर आवश्यकता वाले विद्यालयों की छात्र संख्या का परीक्षण अवश्य कर लें प्रथम वरीयता के आधार पर संलग्न सूची (ई० मेल द्वारा प्रेषित) में अंकित विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाय यदि सूची में अंकित किन्हीं विद्यालयों में छात्र संख्या में असमानता पायी जाती है या चयनित विद्यालयों में से किसी विद्यालय को सी०एस०आर०, विधायक निधि आदि के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गयी हों अथवा चयनित विद्यालय के पास पर्याप्त कक्षा-कक्ष उपलब्ध न हों तथा विद्यालय के पास पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर से अधिक छात्र संख्या के विद्यालयों, जहां फर्नीचर की आवश्यकता हो का चयन करते हुये उन विद्यालयों में अपने स्तर से फर्नीचर समायोजित करने के उपरान्त उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
3. जनपद स्तर पर गठित समिति आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की गुणवत्ता का अनिवार्य रूप से परीक्षण एवं सत्यापन करायेगी।
4. विद्यालयों हेतु फर्नीचर क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा फर्नीचर पर आवंटन वर्ष (2025-26) भी अंकित किया जाय।
5. उक्त के अतिरिक्त फर्नीचर क्रय की कार्यवाही अर्थ अनुभाग के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत फर्नीचर क्रय की कार्यवाही के उपरान्त धनराशि अवशेष रहने की दशा में उसे कदापि जनपद स्तर पर किसी भी प्रत्याशा में न रोका जाय, शेष धनराशि निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जायेगी।
7. चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
8. जनपदान्तर्गत छात्र संख्या शून्य होने के कारण बन्द या अन्य कारणों से बन्द विद्यालयों के फर्नीचरों को भी नजदीकी विद्यालय जहां आवश्यकता हो, में उपलब्ध कराने हेतु जनपदीय समिति अपने स्तर से कार्यवाही करेगी।
9. सम्बन्धित जनपदों द्वारा फर्नीचर क्रय करने के उपरान्त फर्नीचर की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से यथासमय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/नियोजन(04)/ 4176-81

/फर्नीचर/2025-26 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/नियोजन (04)/6818-20

/ फर्नी0/2022-23 दिनांक 14 जुलाई, 2022

विषय-

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-419/2019 के अनुसार "विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विद्यालयों में फर्नीचर, वाटर सप्लाय, शौचालय, कम्प्यूटर, लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक पूर्ण किया जाएगा" के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशालय के पत्र संख्या नियोजन 04/906-09/कम्प्यूटर/ 2021-22 दिनांक 08 जुलाई, 2021 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों में फर्नीचर क्रय किये जाने के लिये जनपद स्तर पर पूर्व में गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2022-23 में जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है।

- | | |
|--|--------------|
| 1. मुख्य शिक्षा अधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. | - सदस्य सचिव |
| 3. उद्योग विभाग का अधिकारी | - सदस्य |
| 4. वित्त अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय | - सदस्य |
| 5. वरिष्ठतम उप शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |

अतः चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा गत वर्ष की भौति निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के तहत GEM/E-Tender के माध्यम से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(बंशीधर तिवारी)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

/ फर्नी0/2022-23 दिनांक उक्तांकित।

पृ0सं0/नियोजन (04)/ 6818-20

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक, (मा.शि./प्रा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल।

(बंशीधर तिवारी)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड (देहरादून)

21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर आवंटन सूची- वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र० सं०	जनपद का नाम	प्राथमिक					उच्च प्राथमिक					कुल छात्र-छात्राओं की संख्या जिनके लिये फर्नीचर आवंटित किया जा रहा है	कुल आवंटित धनराशि
		विद्यालयों की संख्या	छात्र- छात्राओं की संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर	आवंटित धनराशि प्रति छात्र-छात्रा 2. 00 हजार रुपये की दर से	विद्यालयों की संख्या	छात्र- छात्राओं की संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर	आवंटित धनराशि प्रति छात्र-छात्रा 2. 00 हजार रुपये की दर से		
1	Almora	34	205	0	205	410000.00	7	76	0	76	152000.00	281	562000.00
2	Bageshwar	11	56	0	56	112000.00	2	63	30	33	66000.00	89	178000.00
3	Chamoli	13	339	193	146	292000.00	3	143	120	23	46000.00	169	338000.00
4	Champurawat	18	213	0	213	426000.00	2	99	79	20	40000.00	233	466000.00
5	Dehradun	42	4053	2850	1203	2406000.00	23	2071	1409	662	1324000.00	1865	3730000.00
6	Haridwar	83	8615	5518	3097	6194000.00	23	2708	1822	886	1772000.00	3983	7966000.00
7	Nainital	71	4745	3222	1523	3046000.00	18	1022	607	415	830000.00	1938	3876000.00
8	Pauri	41	409	50	359	718000.00	6	75	0	75	150000.00	434	868000.00
9	Pithoragarh	0	0	0	0	0.00	2	106	85	21	42000.00	21	42000.00
10	Rudraprayag	16	112	0	112	224000.00	4	66	0	66	132000.00	178	356000.00
11	Tehri	47	855	296	559	1118000.00	13	306	130	169	338000.00	728	1456000.00
12	U.S. Nagar	25	2043	1386	657	1314000.00	9	723	426	297	594000.00	954	1908000.00
13	Uttarkashi	5	129	56	73	146000.00	3	74	20	54	108000.00	127	254000.00
Total		406	21774	13571	8203	16406000.00	115	7532	4728	2797	5594000.00	11000	22000000.00

(रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड (देहरादून)

21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर आवंटन सूची- वित्तीय वर्ष 2025-26

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
1	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 निरतोला	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
2	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 तोली	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
3	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 रानीसेरा	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
4	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 सिरगाँव	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
5	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 खेरानी	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
6	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 बेट	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
7	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 तापड़ी	प्राथमिक	11	0	11	22000.00
8	Almora	धौलादेवी	रा0प्रा0वि0 नायल	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
9	Almora	धौलादेवी	रा0जु0हा0 पपोली	उच्च प्राथमिक	11	0	11	22000.00
10	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 सेंतोली	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
11	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 पड्युला	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
12	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 बैसपानी	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
13	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 कन्तोली	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
14	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 लौकोट	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
15	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 डुमना	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
16	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 जैठा	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
17	Almora	भिकियासैण	रा0प्रा0वि0 फलसो	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
18	Almora	भिकियासैण	रा0जु0हा0 पन्तगाँव	उच्च प्राथमिक	11	0	11	22000.00
19	Almora	स्याल्दे	रा0प्रा0वि0 तोलबुधानी	प्राथमिक	11	0	11	22000.00
20	Almora	स्याल्दे	रा0उ0प्रा0वि0 भ्याटी	उच्च प्राथमिक	10	0	10	20000.00
21	Almora	स्याल्दे	रा0प्रा0वि0 जैराज	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
22	Almora	सल्ट	रा0उ0प्रा0वि0 मन्हैत	उच्च प्राथमिक	13	0	13	26000.00
23	Almora	सल्ट	रा0उ0प्रा0वि0 बूढाकोट	उच्च प्राथमिक	6	0	6	12000.00
24	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 बिरलगाँव मल्ला	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
25	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 डुंगरी	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
26	Almora	सल्ट	रा0उ0प्रा0वि0 जामणीजखल	उच्च प्राथमिक	9	0	9	18000.00
27	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 धुलबाहुंगा	प्राथमिक	8	0	8	16000.00
28	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 चाँच	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
29	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 गड़कोट	प्राथमिक	9	0	9	18000.00
30	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 तया कालीगाँव	प्राथमिक	11	0	11	22000.00
31	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 रीठा टुकरा	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
32	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 पटियाचौरा	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
33	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 घजीरा	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
34	Almora	सल्ट	रा0प्रा0वि0 खोल्यो	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
35	Almora	चौखुटिया	रा0प्रा0वि0 अगनेरी	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
36	Almora	ताड़ीखेत	रा0प्रा0वि0 पीपलखण्ड	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
37	Almora	ताड़ीखेत	रा0प्रा0वि0 सीमातल्ला	प्राथमिक	9	0	9	18000.00
38	Almora	ताड़ीखेत	रा0जु0हा0कपीना	उच्च प्राथमिक	16	0	16	32000.00
39	Almora	ताड़ीखेत	रा0प्रा0वि0 मटीला	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
40	Almora	ताड़ीखेत	रा0प्रा0वि0 एरोली	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
41	Almora	लमगड़ा	रा0प्रा0वि0 चौड़ा	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
जनपद अल्मोड़ा योग					281	0	281	562000.00

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
42	Bageshwar	बागेश्वर	रा0 प्रा0 वि0 भैसूडी	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
43	Bageshwar	बागेश्वर	रा0प्रा0विद्यालय जुनायल	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
44	Bageshwar	बागेश्वर	रा0प्रा0विद्यालय कमद	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
45	Bageshwar	बागेश्वर	रा0प्रा0विद्यालय सुन्दिल	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
46	Bageshwar	बागेश्वर	रा0प्रा0विद्यालय गनुर्वीसरमोली	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
47	Bageshwar	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 पंगचौडा मल्ला	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
48	Bageshwar	बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 टिटोली	प्राथमिक	9	0	9	18000.00
49	Bageshwar	बागेश्वर	प्रावि गुरुगुचा	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
50	Bageshwar	बागेश्वर	प्रा वि गापानी	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
51	Bageshwar	बागेश्वर	प्रा0वि0कुलारंगचौडा	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
52	Bageshwar	बागेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 तुषरेडा	उच्च प्राथमिक	10	0	10	20000.00
53	Bageshwar	गरुड	रा0प्रा0वि0 सेलकूना	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
54	Bageshwar	गरुड	रा0उ0प्रा0वि0 भतड़िया	उच्च प्राथमिक	53	30	23	46000.00
जनपद बागेश्वर योग					119	30	89	178000.00
55	Chamoli	कर्णप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 बैनोली	उच्च प्राथमिक	47	40	7	14000.00
56	Chamoli	थराली	रा0प्रा0वि0 जलचौरा	प्राथमिक	13	0	13	26000.00
57	Chamoli	दशोली	रा0प्रा0वि0पगना	प्राथमिक	62	40	22	44000.00
58	Chamoli	दशोली	रा0प्रा0वि0देवरखडोरा	प्राथमिक	60	40	20	40000.00
59	Chamoli	देवाल	रा0प्रा0वि0ऊणीवगड	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
60	Chamoli	देवाल	रा0प्रा0वि0सुया	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
61	Chamoli	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 नौलीगवाड़	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
62	Chamoli	नारायणबगड	रा0प्रा0वि0 जाख	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
63	Chamoli	नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 ल्वाणी	प्राथमिक	54	50	4	8000.00
64	Chamoli	गैरसैण	कुनेली	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
65	Chamoli	गैरसैण	काँसुवा	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
66	Chamoli	गैरसैण	डांडामज्याडी	प्राथमिक	18	0	18	36000.00
67	Chamoli	गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0स्यूणीतल्ली	उच्च प्राथमिक	9	0	9	18000.00
68	Chamoli	गैरसैण	नैल	प्राथमिक	47	44	3	6000.00
69	Chamoli	गैरसैण	गैरसैण	प्राथमिक	49	19	30	60000.00
70	Chamoli	गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0सारकोट	उच्च प्राथमिक	87	80	7	14000.00
जनपद चमोली योग					482	313	169	338000.00
71	Champawat	बाराकोट	रा0प्रा0वि0 गैरी	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
72	Champawat	बाराकोट	रा0प्रा0वि0 बाँस	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
73	Champawat	बाराकोट	रा0प्रा0वि0 फिरकौला	प्राथमिक	13	0	13	26000.00
74	Champawat	बाराकोट	रा0प्रा0वि0 मिश्रतोली	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
75	Champawat	बाराकोट	रा0उ0प्रा0वि0 फरतोला	उच्च प्राथमिक	46	40	6	12000.00
76	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 रौलमेल	प्राथमिक	27	0	27	54000.00
77	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 जगाधार	प्राथमिक	16	0	16	32000.00
78	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 गूठाअनकिंया	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
79	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 जमाड	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
80	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 सिल्योडीगूँठ	प्राथमिक	30	0	30	60000.00
81	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 बालातडी	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
82	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 बडेत	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
83	Champawat	पाटी	रा0प्रा0वि0 कूँण	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
84	Champawat	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 कठौती	प्राथमिक	26	0	26	52000.00
85	Champawat	चम्पावत	रा0उ0प्रा0वि0 कठौल	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
86	Champawat	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 खिरद्वारी	प्राथमिक	17	0	17	34000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवृत्त फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवृत्त धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
87	Champawat	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 रियाँसी	प्राथमिक	9	0	9	18000.00
88	Champawat	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मनार	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
89	Champawat	चम्पावत	रा0प्रा0वि0 खेत	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
90	Champawat	लोहाघाट	रा0उ0प्रा0वि0 पासन	उच्च प्राथमिक	53	39	14	28000.00
जनपद चम्पावत योग					312	79	233	466000.00
91	Dehradun	कालसी	रा0प्रा0वि0 बागी	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
92	Dehradun	कालसी	रा0प्रा0वि0 घिघऊ	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
93	Dehradun	कालसी	रा0प्रा0वि0 ललऊ	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
94	Dehradun	कालसी	रा0प्रा0वि0 व्यासनहरी	प्राथमिक	61	33	28	56000.00
95	Dehradun	विकासनगर	रा0उ0प्रा0वि0 धर्मावाला	उच्च प्राथमिक	118	103	15	30000.00
96	Dehradun	विकासनगर	रा0उ0प्रा0वि0 जस्सोवाला	उच्च प्राथमिक	151	139	12	24000.00
97	Dehradun	विकासनगर	रा0उ0प्रा0वि0 शीशमबाड़ा	उच्च प्राथमिक	195	155	40	80000.00
98	Dehradun	विकासनगर	रा0उ0प्रा0वि0 केदारवाला	उच्च प्राथमिक	118	108	10	20000.00
99	Dehradun	रायपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिल्ला	उच्च प्राथमिक	24	0	24	48000.00
100	Dehradun	रायपुर	रा0 उच्च प्राथमिक विद्यालय शीतला विहार	उच्च प्राथमिक	35	0	35	70000.00
101	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजबपुर खुर्द	प्राथमिक	34	0	34	68000.00
102	Dehradun	रायपुर	राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परेड ग्राउंड	उच्च प्राथमिक	53	38	15	30000.00
103	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिलाराम बाज़ार	प्राथमिक	57	51	6	12000.00
104	Dehradun	रायपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डालनवाला	उच्च प्राथमिक	102	87	15	30000.00
105	Dehradun	रायपुर	रा0 कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय आराधर	उच्च प्राथमिक	113	84	29	58000.00
106	Dehradun	रायपुर	रा0उ0प्रा0वि0 जाखन नगर क्षेत्र देहरादून	उच्च प्राथमिक	118	60	58	116000.00
107	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारवाला	प्राथमिक	350	260	90	180000.00
108	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अशारोड़ी	प्राथमिक	52	36	16	32000.00
109	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय तरला नागल	प्राथमिक	130	115	15	30000.00
110	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवावा	प्राथमिक	145	115	30	60000.00
111	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहूवाला माफी 1	प्राथमिक	286	238	48	96000.00
112	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन	प्राथमिक	51	20	31	62000.00
113	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंद्रेश नगर	प्राथमिक	84	69	15	30000.00
114	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरवंश वाला	प्राथमिक	54	24	30	60000.00
115	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय पित्तुवाला खुर्द	प्राथमिक	235	138	97	194000.00

2

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवृत्त फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवृत्त धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
116	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अधोईवाला	प्राथमिक	150	90	60	120000.00
117	Dehradun	रायपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडपुर	उच्च प्राथमिक	122	72	50	100000.00
118	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजबपुर कलाँ 2	प्राथमिक	114	109	5	10000.00
119	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बट्टीपुर	प्राथमिक	116	107	9	18000.00
120	Dehradun	रायपुर	रा० कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुडबुड़ा	उच्च प्राथमिक	90	80	10	20000.00
121	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी	प्राथमिक	380	320	60	120000.00
122	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय आराधर 2	प्राथमिक	108	88	20	40000.00
123	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजबपुर	प्राथमिक	161	131	30	60000.00
124	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकतुनवाला	प्राथमिक	54	33	21	42000.00
125	Dehradun	रायपुर	राजकीय उ० प्राथमिक विद्यालय लक्खीबाग	उच्च प्राथमिक	74	34	40	80000.00
126	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढंढार	प्राथमिक	162	138	24	48000.00
127	Dehradun	रायपुर	रा०पू०मा०वि० कण्डोली	उच्च प्राथमिक	111	56	55	110000.00
128	Dehradun	रायपुर	रा०प्रा०वि० रायपुर	प्राथमिक	60	39	21	42000.00
129	Dehradun	रायपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय शास्त्रीनगर	प्राथमिक	142	82	60	120000.00
130	Dehradun	सहसपुर	रा०पू०मा०वि० माण्डूवाला	उच्च प्राथमिक	30	0	30	60000.00
131	Dehradun	सहसपुर	रा०प्रा०वि० झाझरा	प्राथमिक	119	74	45	90000.00
132	Dehradun	सहसपुर	रा०प्रा०वि० देवीपुर	प्राथमिक	80	60	20	40000.00
133	Dehradun	सहसपुर	रा०प्रा०वि० बडौवाला आर०	प्राथमिक	65	39	26	52000.00
134	Dehradun	सहसपुर	रा०प्रा०वि० डीवरहेडी	प्राथमिक	70	40	30	60000.00
135	Dehradun	सहसपुर	रा०पू०मा०वि० कैदीवाला	उच्च प्राथमिक	69	39	30	60000.00
136	Dehradun	सहसपुर	रा०पू०मा०वि० बडौवाला आर०	उच्च प्राथमिक	48	33	15	30000.00
137	Dehradun	सहसपुर	रा०पू०मा०वि० कण्डोली अपर	उच्च प्राथमिक	53	42	11	22000.00
138	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि०-फान्दुवाला	प्राथमिक	24	0	24	48000.00
139	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० चौदमारी	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
140	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० शमशेरगढ़	प्राथमिक	72	33	39	78000.00
141	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० बालावाला-1	प्राथमिक	67	35	32	64000.00
142	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० बालावाला-2	प्राथमिक	50	35	15	30000.00
143	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० हरवाला-1	प्राथमिक	51	15	36	72000.00
144	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि०-माधोवाला	प्राथमिक	49	39	10	20000.00
145	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० वीरपुरखुर्द	प्राथमिक	68	17	51	102000.00
146	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० गडीश्यामपुर	प्राथमिक	55	48	7	14000.00
147	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० नवीनश्यामपुर	प्राथमिक	62	45	17	34000.00
148	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि०-सुनार, गाँव	प्राथमिक	72	42	30	60000.00
149	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि०-माजरी-3	प्राथमिक	60	43	17	34000.00
150	Dehradun	डोईवाला	रा०प्रा०वि० शेरगढ़	प्राथमिक	68	49	19	38000.00
151	Dehradun	डोईवाला	पू०मा०वि० डोईवाला	उच्च प्राथमिक	165	105	60	120000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
152	Dehradun	डोईवाला	पू०मा०वि०-गा०प्रा०बुल्ला०	उच्च प्राथमिक	52	22	30	60000.00
153	Dehradun	डोईवाला	क०पू०मा०वि० चकजोगीवाला	उच्च प्राथमिक	86	62	24	48000.00
154	Dehradun	डोईवाला	पू०मा०वि०-जीवन वाला	उच्च प्राथमिक	59	50	9	18000.00
155	Dehradun	डोईवाला	पू०मा०वि०-माजरी ग्रान्ट	उच्च प्राथमिक	85	40	45	90000.00
जनपद देहरादून योग					6124	4259	1865	3730000.00
156	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०तांशीपुर -2	प्राथमिक	88	78	10	20000.00
157	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०डेलना	प्राथमिक	63	53	10	20000.00
158	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०मेहवंड खुर्द	प्राथमिक	71	61	10	20000.00
159	Haridwar	रुडकी	रा०उ०प्रा०वि०मुकर्रबपुर	उच्च प्राथमिक	106	88	18	36000.00
160	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०तांशीपुर -1	प्राथमिक	76	56	20	40000.00
161	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०हीराहेडी-2	प्राथमिक	82	62	20	40000.00
162	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०पिरान कलियर-2	प्राथमिक	176	156	20	40000.00
163	Haridwar	रुडकी	रा०उ०प्रा०वि०लाठरदेवा शेख	उच्च प्राथमिक	119	91	28	56000.00
164	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०सु०सावतवाली	प्राथमिक	48	33	15	30000.00
165	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०पुहाना	प्राथमिक	114	80	34	68000.00
166	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०न०-04	प्राथमिक	58	20	38	76000.00
167	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०पाडली गेंदा	प्राथमिक	115	80	35	70000.00
168	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०हलवाहेडी	प्राथमिक	103	60	43	86000.00
169	Haridwar	रुडकी	रा०उ०प्रा०वि०मगेंडी	उच्च प्राथमिक	80	35	45	90000.00
170	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०टोडा कल्याणपुर	प्राथमिक	104	55	49	98000.00
171	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०शान्तरशाह	प्राथमिक	113	50	63	126000.00
172	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०मूलदासपुर	प्राथमिक	125	75	50	100000.00
173	Haridwar	रुडकी	रा०उ०प्रा०वि०पनियाला	उच्च प्राथमिक	140	90	50	100000.00
174	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०भौरी	प्राथमिक	208	148	60	120000.00
175	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०रहीमपुर	प्राथमिक	160	80	80	160000.00
176	Haridwar	रुडकी	रा०प्रा०वि०रहमतपुर	प्राथमिक	260	180	80	160000.00
177	Haridwar	खानपुर	रा०प्रा०वि० कानेवाली	प्राथमिक	49	33	16	32000.00
178	Haridwar	खानपुर	रा०प्रा०वि० सिकन्दरपुर नया	प्राथमिक	76	60	16	32000.00
179	Haridwar	खानपुर	रा०प्रा०वि० गोवर्धनपुर	प्राथमिक	90	58	32	64000.00
180	Haridwar	खानपुर	रा०उ०प्रा०वि० प्रहलादपुर	उच्च प्राथमिक	56	11	45	90000.00
181	Haridwar	खानपुर	रा०उ०प्रा०वि० दल्लावाला	उच्च प्राथमिक	158	98	60	120000.00
182	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० नौरंगाबाद	प्राथमिक	36	0	36	72000.00
183	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० लाहरपुर	प्राथमिक	37	0	37	74000.00
184	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० सुखरासा	प्राथमिक	50	0	50	100000.00
185	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० फेरुपुर-1	प्राथमिक	54	48	6	12000.00
186	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० कोटामुसादनगर-2	प्राथमिक	58	48	10	20000.00
187	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० चण्डीघाट	प्राथमिक	255	240	15	30000.00
188	Haridwar	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० गोविन्दगढ़	उच्च प्राथमिक	59	39	20	40000.00
189	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० बिहारीनगर	प्राथमिक	88	68	20	40000.00
190	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० न० 28	प्राथमिक	90	70	20	40000.00
191	Haridwar	बहादुराबाद	रा०उ०प्रा०वि० गुजरबस्ती	उच्च प्राथमिक	60	36	24	48000.00
192	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० न०18	प्राथमिक	75	50	25	50000.00
193	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० नसीरपुर कलौ	प्राथमिक	168	140	28	56000.00
194	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० पथरीरोह	प्राथमिक	60	30	30	60000.00
195	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० जालूपुरी	प्राथमिक	108	78	30	60000.00
196	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० नालीवाला	प्राथमिक	69	30	39	78000.00
197	Haridwar	बहादुराबाद	रा०प्रा०वि० न० 33	प्राथमिक	110	70	40	80000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
198	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि न044	प्राथमिक	90	50	40	80000.00
199	Haridwar	बहादुराबाद	रा0उ0प्रा0वि0 औरंगाबाद	उच्च प्राथमिक	83	33	50	100000.00
200	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि गुर्जरवस्ती-2	प्राथमिक	160	110	50	100000.00
201	Haridwar	बहादुराबाद	रा0उ0प्रा0वि0नसीरपुर कलौ	उच्च प्राथमिक	108	58	50	100000.00
202	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि पदार्था	प्राथमिक	152	100	52	104000.00
203	Haridwar	बहादुराबाद	रा0क0उ0प्रा0वि0 औरंगाबाद	उच्च प्राथमिक	104	50	54	108000.00
204	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 न034	प्राथमिक	118	50	68	136000.00
205	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि नौ0कुन्हासी	प्राथमिक	169	130	39	78000.00
206	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि गुर्जरवस्ती-3	प्राथमिक	151	80	71	142000.00
207	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि गुर्जरवस्ती-1	प्राथमिक	163	80	83	166000.00
208	Haridwar	बहादुराबाद	रा0प्रा0वि0 हजाराग्रंट	प्राथमिक	101	10	91	182000.00
209	Haridwar	बहादुराबाद	रा0उ0प्रा0वि रोशनाबाद	उच्च प्राथमिक	528	428	100	200000.00
210	Haridwar	भगवानपुर	रा0उ0प्रा0वि0 टांडा हसनगढ	उच्च प्राथमिक	70	55	15	30000.00
211	Haridwar	भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 गाँजा मजरा	प्राथमिक	89	69	20	40000.00
212	Haridwar	भगवानपुर	रा0प्रा0वि0 मखनपुर	प्राथमिक	161	61	100	200000.00
213	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 सुसाडा	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
214	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 उल्हेडा	प्राथमिक	66	56	10	20000.00
215	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 नूरपुर बूडपुर	प्राथमिक	56	46	10	20000.00
216	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 खेमपुर झोझा	प्राथमिक	48	36	12	24000.00
217	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 नं0 11 मंगलौर	प्राथमिक	115	100	15	30000.00
218	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 खेमपुर झोझा	उच्च प्राथमिक	65	50	15	30000.00
219	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 शीतलपुर	प्राथमिक	71	51	20	40000.00
220	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 भक्तवाली	प्राथमिक	91	70	21	42000.00
221	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 नूरपुर	प्राथमिक	45	25	20	40000.00
222	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 झबरेडी कलां	उच्च प्राथमिक	66	46	20	40000.00
223	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 खानमपुर कसौली	प्राथमिक	91	70	21	42000.00
224	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 ढंडेरा	उच्च प्राथमिक	162	140	22	44000.00
225	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 मन्नाखेडी	प्राथमिक	74	50	24	48000.00
226	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 उदलहेडी	उच्च प्राथमिक	96	70	26	52000.00
227	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 झबरेडा 2	प्राथमिक	50	20	30	60000.00
228	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 नं0 6 मंगलौर	प्राथमिक	70	40	30	60000.00
229	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 सुसाडी खुर्द	उच्च प्राथमिक	65	35	30	60000.00
230	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 लंडौरा 1	प्राथमिक	131	100	31	62000.00
231	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 जबरदस्तपुर	उच्च प्राथमिक	231	200	31	62000.00
232	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 जैनपुर झंडौडी	प्राथमिक	125	90	35	70000.00
233	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 बन्हेडा टांडा	प्राथमिक	188	150	38	76000.00
234	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 अकबरपुर ढंडेकी	प्राथमिक	148	110	38	76000.00
235	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 नं0 3 मंगलौर	उच्च प्राथमिक	120	80	40	80000.00
236	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 बुक्कनपुर	प्राथमिक	91	45	46	92000.00
237	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 नकीवपुर	प्राथमिक	108	60	48	96000.00
238	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 लखनौता	प्राथमिक	70	20	50	100000.00
239	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 टिकौला कलां	प्राथमिक	114	64	50	100000.00
240	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 शिकारपुर	प्राथमिक	150	100	50	100000.00
241	Haridwar	नारसन	रा0उ0प्रा0वि0 शिकारपुर	उच्च प्राथमिक	72	20	52	104000.00
242	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 नं0 5 मंगलौर	प्राथमिक	105	36	69	138000.00
243	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 कुमराडी	प्राथमिक	160	80	80	160000.00
244	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 गदरजुडडा	प्राथमिक	182	100	82	164000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
245	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 बसवाखेडी	प्राथमिक	131	31	100	200000.00
246	Haridwar	नारसन	रा0प्रा0वि0 लहबोली	प्राथमिक	330	200	130	260000.00
247	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 नेतवाला सैदाबाद	प्राथमिक	45	39	6	12000.00
248	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 डुंगरपुर	प्राथमिक	56	44	12	24000.00
249	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 कुडी नेतवाला	प्राथमिक	77	62	15	30000.00
250	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 डौसनी	प्राथमिक	61	46	15	30000.00
251	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 जैनपुर	प्राथमिक	76	61	15	30000.00
252	Haridwar	लक्सर	रा0उ0प्रा0वि0 फतवा	उच्च प्राथमिक	75	59	16	32000.00
253	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 नरोजपुर	प्राथमिक	53	33	20	40000.00
254	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 मुटकाबाद	प्राथमिक	78	57	21	42000.00
255	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 मुण्डाखेडा -1	प्राथमिक	62	32	30	60000.00
256	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 कुआंखेडा	प्राथमिक	49	19	30	60000.00
257	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 फतवा	प्राथमिक	95	65	30	60000.00
258	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 मुबारिकपुर अलीपुर	प्राथमिक	63	30	33	66000.00
259	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 मौ0पुर बुजुर्ग	प्राथमिक	185	150	35	70000.00
260	Haridwar	लक्सर	रा0प्रा0वि0 बहादुरपुर डेरा	प्राथमिक	102	40	62	124000.00
261	Haridwar	लक्सर	रा0उ0प्रा0वि0 सीधड़ू	उच्च प्राथमिक	85	10	75	150000.00
जनपद हरिद्वार योग					11323	7340	3983	7966000.00
262	Nainital	बेतालघाट	रा0प्रा0वि0 काण्डा	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
263	Nainital	बेतालघाट	रा0प्रा0वि0 मल्लीपाली	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
264	Nainital	बेतालघाट	रा0प्रा0वि0 घोडियाटापू	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
265	Nainital	बेतालघाट	रा0प्रा0वि0 सिमराड़	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
266	Nainital	बेतालघाट	रा0प्रा0वि0 आटारवाता	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
267	Nainital	बेतालघाट	रा0प्रा0वि0 व्यासी	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
268	Nainital	कोटाबाग	रा.प्रा.वि. गड़प्पू खत्ता	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
269	Nainital	कोटाबाग	रा.प्रा.वि. गदगदिया खत्ता	प्राथमिक	8	0	8	16000.00
270	Nainital	कोटाबाग	रा.प्रा.वि. गिन्तीगांव	प्राथमिक	206	63	143	286000.00
271	Nainital	कोटाबाग	रा.प्रा.वि. प्रतापपुर	प्राथमिक	48	45	3	6000.00
272	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. बट्टीपुरा	प्राथमिक	58	0	58	116000.00
273	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. चौडखत्ता	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
274	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. शाहपठानीखत्ता	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
275	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. हिम्मतपुर मल्ला	उच्च प्राथमिक	105	60	45	90000.00
276	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. सूधीमगवानपुर	उच्च प्राथमिक	52	39	13	26000.00
277	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. क0बरेलीरोड	प्राथमिक	115	100	15	30000.00
278	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. रेलवे लालकुआ	प्राथमिक	144	100	44	88000.00
279	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. हिम्मतपुर मल्ला	प्राथमिक	83	60	23	46000.00
280	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. बिष्टघडा	प्राथमिक	116	55	61	122000.00
281	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. कमलुवागौजा	प्राथमिक	115	95	20	40000.00
282	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. हरिपुर गांगू	उच्च प्राथमिक	76	60	16	32000.00
283	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. कमलुवागाजा	उच्च प्राथमिक	94	65	29	58000.00
284	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. लामाचौड़	उच्च प्राथमिक	50	20	30	60000.00
285	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. कटहरिया	उच्च प्राथमिक	99	40	59	118000.00
286	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. धैलाखेडा	प्राथमिक	120	60	60	120000.00
287	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. लाखनमंडी	उच्च प्राथमिक	50	20	30	60000.00
288	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. छंडायल सुयाल	प्राथमिक	153	126	27	54000.00
289	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. रामपुररोड	प्राथमिक	45	32	13	26000.00
290	Nainital	हल्द्वानी	रा.उ.प्रा.वि. मुखानी	प्राथमिक	72	61	11	22000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
291	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. फतेहपुर	प्राथमिक	63	12	51	102000.00
292	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. मोटाहल्लू	प्राथमिक	60	12	48	96000.00
293	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. देवलचौड़	प्राथमिक	241	180	61	122000.00
294	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. जमरानी बोंघ	प्राथमिक	62	29	33	66000.00
295	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. रेलवेकाठगोदाम	प्राथमिक	50	42	8	16000.00
296	Nainital	हल्द्वानी	रा.प्रा.वि. लामाचौड़खास	प्राथमिक	60	30	30	60000.00
297	Nainital	भीमताल	रा.प्रा.वि. आलुखेत	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
298	Nainital	भीमताल	रा.प्रा.वि. नौकुचियाताल	प्राथमिक	61	56	5	10000.00
299	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. कुमुगडार	उच्च प्राथमिक	42	0	42	84000.00
300	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. द.पाटकोट	प्राथमिक	31	0	31	62000.00
301	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. बेलगढ़	प्राथमिक	11	0	11	22000.00
302	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. कन्जरपड़ाव (नगर)	प्राथमिक	38	0	38	76000.00
303	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. लेटी चोपड़ा	उच्च प्राथमिक	19	0	19	38000.00
304	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. तल्ला कानिया	उच्च प्राथमिक	22	0	22	44000.00
305	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. हिम्मतपुरडोडियाल	प्राथमिक	25	0	25	50000.00
306	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. नारायणपुर खत्ता	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
307	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. बेलघट्टी	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
308	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. अर्जुननाला	उच्च प्राथमिक	21	0	21	42000.00
309	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. चिल्किया	प्राथमिक	110	100	10	20000.00
310	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. टांडागल्लू	प्राथमिक	126	115	11	22000.00
311	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. थारी	प्राथमिक	80	77	3	6000.00
312	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. ललितपुर	प्राथमिक	45	42	3	6000.00
313	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. उदयपुरबैलजुडी	प्राथमिक	52	40	12	24000.00
314	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. शिवपुरबैलजुडी	प्राथमिक	80	71	9	18000.00
315	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. वेरिया नवीन	प्राथमिक	60	55	5	10000.00
316	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. हिम्मतपुरब्लाक	प्राथमिक	45	42	3	6000.00
317	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. शिवनाथपुर	प्राथमिक	110	100	10	20000.00
318	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. मालधनचौड़	प्राथमिक	48	45	3	6000.00
319	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. तुमडियाडाम 1	प्राथमिक	92	91	1	2000.00
320	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. नारायणपुर	प्राथमिक	70	48	22	44000.00
321	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. गोपालनगर.6	प्राथमिक	45	41	4	8000.00
322	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. गाँधीनगर	प्राथमिक	63	62	1	2000.00
323	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. शिवनाथपुर न.ब.	प्राथमिक	65	63	2	4000.00
324	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. गौतमनगर	उच्च प्राथमिक	50	48	2	4000.00
325	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. तुमडियाडाम 2	उच्च प्राथमिक	110	109	1	2000.00
326	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. गाँधीनगर	उच्च प्राथमिक	50	47	3	6000.00
327	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. मोतीपुर खुशालपुर	प्राथमिक	77	60	17	34000.00
328	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. खताडी (नगर)	प्राथमिक	118	100	18	36000.00
329	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. गरीवेश्वर (नगर)	प्राथमिक	50	40	10	20000.00
330	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. गुलरघट्टी (नगर)	प्राथमिक	200	110	90	180000.00
331	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. जंटपड़ाव (नगर)	प्राथमिक	385	235	150	300000.00
332	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. छोई	प्राथमिक	99	67	32	64000.00
333	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. बम्बाघेर (नगर)	प्राथमिक	71	50	21	42000.00
334	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. गरीवेश्वर (नगर)	उच्च प्राथमिक	71	21	50	100000.00
335	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. मोतीमहल (नगर)	उच्च प्राथमिक	55	40	15	30000.00
336	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. खुशालपुर बुक्सा	उच्च प्राथमिक	53	38	15	30000.00
337	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. सांवल्दे पूर्व	प्राथमिक	76	50	26	52000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवृत्त फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवृत्त धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
338	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. सेमलखलिया	प्राथमिक	62	42	20	40000.00
339	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. डिकुली	प्राथमिक	113	93	20	40000.00
340	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. कालू सिद्ध	प्राथमिक	62	47	15	30000.00
341	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. सुन्दरखाल	प्राथमिक	80	60	20	40000.00
342	Nainital	रामनगर	रा.प्रा.वि. देवीचौड़	प्राथमिक	62	38	24	48000.00
343	Nainital	रामनगर	रा.उ.प्रा.वि. पूछडी	प्राथमिक	90	80	10	20000.00
344	Nainital	रामगढ़	रा0प्रा0वि0 सतौली	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
345	Nainital	रामगढ़	रा0प्रा0वि0 तरैना	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
346	Nainital	रामगढ़	रा0प्रा0वि0 सतबुंगा	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
347	Nainital	रामगढ़	रा0प्रा0वि0 हली	प्राथमिक	9	0	9	18000.00
348	Nainital	रामगढ़	रा0प्रा0वि0 मुक्तेश्वर 2	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
349	Nainital	रामगढ़	रा0प्रा0वि0 ओझाखान	प्राथमिक	11	0	11	22000.00
350	Nainital	रामगढ़	रा0उ0प्रा0वि0 घूरा	उच्च प्राथमिक	3	0	3	6000.00
जनपद नैनीताल योग					5767	3829	1938	3876000.00
351	Pauri	एकेश्वर	रा0प्रा0वि0 पालकोट	प्राथमिक	14	0	14	28000.00
352	Pauri	एकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 डियूल्ड	उच्च प्राथमिक	9	0	9	18000.00
353	Pauri	यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 जियादमराडा	उच्च प्राथमिक	14	0	14	28000.00
354	Pauri	यमकेश्वर	रा0प्रा0वि0 ताछला	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
355	Pauri	यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 कुण्ड	उच्च प्राथमिक	20	0	20	40000.00
356	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 जमरखेत	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
357	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 तोली	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
358	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 दिउसा	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
359	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 चवरा	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
360	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 सुराडी	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
361	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 भरगवाडी	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
362	Pauri	द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 सीला	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
363	Pauri	द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 हिलोगी	उच्च प्राथमिक	9	0	9	18000.00
364	Pauri	द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 जुयालगांव	उच्च प्राथमिक	9	0	9	18000.00
365	Pauri	कोट	रा0प्रा0वि0 कोल्टा	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
366	Pauri	कोट	रा0प्रा0वि0 रामपुर	प्राथमिक	9	0	9	18000.00
367	Pauri	कोट	रा0प्रा0वि0 मुछियाली	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
368	Pauri	कोट	रा0प्रा0वि0 पैडुल	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
369	Pauri	कोट	रा0प्रा0वि0 सिराला	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
370	Pauri	कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 नानसू	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
371	Pauri	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 सौड गजेली	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
372	Pauri	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 जोगडी	प्राथमिक	19	0	19	38000.00
373	Pauri	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 बुदेसू	प्राथमिक	31	0	31	62000.00
374	Pauri	खिर्सू	रा0प्रा0वि0 न0न0पा0 श्रीनगर	प्राथमिक	75	50	25	50000.00
375	Pauri	खिर्णीखाल	रा0प्रा0वि0 मंज्याडीसेण	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
376	Pauri	थलीसेण	रा0प्रा0वि0 धांधणखेत	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
377	Pauri	पाबौ	रा0पू0मा0वि0 गिठाली	उच्च प्राथमिक	14	0	14	28000.00
378	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0 बूंगा	प्राथमिक	14	0	14	28000.00
379	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0 सिमलथ	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
380	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0 क्यून्धार	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
381	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0 निसणी	प्राथमिक	13	0	13	26000.00
382	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0 उकाल	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
383	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0 ताल	प्राथमिक	6	0	6	12000.00

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
384	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0पीपली	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
385	Pauri	पाबौ	रा0प्रा0वि0चैड	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
386	Pauri	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 उत्तमखेत	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
387	Pauri	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 डवीलातल्ला	प्राथमिक	8	0	8	16000.00
388	Pauri	पौड़ी	रा0प्रा0वि0चरधार	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
389	Pauri	पौड़ी	रा0प्रा0वि0डुंग्री	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
390	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 खौल	प्राथमिक	8	0	8	16000.00
391	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 बुढाकोट	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
392	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 ख्यूण्डाई	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
393	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 पुलटण्डा	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
394	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 जोगिडा	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
395	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 उटिण्डा गांव	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
396	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 केलधार	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
397	Pauri	नैनीडांडा	रा0प्रा0वि0 कोचियार	प्राथमिक	18	0	18	36000.00
जनपद पौड़ी योग					484	50	434	868000.00
398	Pithoragarh	धारचूला	रा0उ0प्रा0वि0 धामीगाँव	उच्च प्राथमिक	55	43	12	24000.00
399	Pithoragarh	विण	रा0उ0प्रा0वि0 तिलदुंगरी	उच्च प्राथमिक	51	42	9	18000.00
जनपद पिथौरागढ़ योग					106	85	21	42000.00
400	Rudrapur	जखोली	रा0प्रा0वि0 भौर	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
401	Rudrapur	जखोली	रा0प्रा0वि0 पपड़ासू	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
402	Rudrapur	जखोली	रा0प्रा0वि0 मचकण्डी	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
403	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 फलासी	उच्च प्राथमिक	32	0	32	64000.00
404	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 सोड मटगांव	उच्च प्राथमिक	15	0	15	30000.00
405	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 मयकोटी	उच्च प्राथमिक	13	0	13	26000.00
406	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.क.उ.प्रा.वि. कुण्ड	उच्च प्राथमिक	6	0	6	12000.00
407	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 चमस्वाड़ा	प्राथमिक	19	0	19	38000.00
408	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. बौरा	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
409	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 बावई	प्राथमिक	15	0	15	30000.00
410	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. कोखण्डी	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
411	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. बांजगडसू	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
412	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. खैड़ी	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
413	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. सिद्धपीठ	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
414	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. धादड़	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
415	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. काण्डई बच्छणसू	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
416	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. उत्तरसू	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
417	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. सणगू	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
418	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. निरवाली	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
419	Rudrapur	अगस्त्यमुनि	रा.प्रा.वि. गहड़खाल	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
जनपद रुद्रप्रयाग योग					178	0	178	356000.00
420	Tehri	BHILANGANA	रा0प्रा0वि0 मयकोट	प्राथमिक	16	0	16	32000.00
421	Tehri	CHAMBA	रा0प्रा0वि0 केमरगांव	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
422	Tehri	CHAMBA	रा0प्रा0वि0 जड़धारगांव बालिका	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
423	Tehri	CHAMBA	रा0प्रा0वि0 विरोगी	प्राथमिक	8	0	8	16000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्याप्रति)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
424	Tehri	CHAMBA	रा0प्रा0वि0 पांगरखाल	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
425	Tehri	CHAMBA	रा0प्रा0वि0 पलाम	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
426	Tehri	CHAMBA	रा0उ0प्रा0वि0 पनियाली	उच्च प्राथमिक	12	0	12	24000.00
427	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 तिमली	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
428	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 टोलू	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
429	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 कोटसादणा	प्राथमिक	8	0	8	16000.00
430	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 अरोटा	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
431	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 त्यूडी	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
432	Tehri	DEVPRAYAG	रा0उ0 प्रा0वि0 भादीखाल	उच्च प्राथमिक	4	0	4	8000.00
433	Tehri	DEVPRAYAG	रा0उ0 प्रा0वि0 जरोला	उच्च प्राथमिक	14	0	14	28000.00
434	Tehri	DEVPRAYAG	रा0उ0प्रा0वि0 घण्डियालधार	उच्च प्राथमिक	13	0	13	26000.00
435	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 देवप्रयाग	प्राथमिक	101	60	41	82000.00
436	Tehri	DEVPRAYAG	रा0प्रा0वि0 जामणीखाल	प्राथमिक	71	66	5	10000.00
437	Tehri	JAKHANIDHAR	रा0उ0प्रा0वि0 चन्द्रभागा	उच्च प्राथमिक	4	0	4	8000.00
438	Tehri	JAKHANIDHAR	रा0प्रा0वि0 मेाली	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
439	Tehri	JAKHANIDHAR	रा0उ0प्रा0वि0 पुनाणू	उच्च प्राथमिक	10	0	10	20000.00
440	Tehri	JAUNPUR	रा0उ0प्रा0वि0-खेतू	उच्च प्राथमिक	15	0	15	30000.00
441	Tehri	JAUNPUR	रा0प्रा0वि0-पवेथ	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
442	Tehri	JAUNPUR	रा0प्रा0वि0-चिलामू	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
443	Tehri	JAUNPUR	रा0प्रा0वि0-द्वारगढ	प्राथमिक	17	0	17	34000.00
444	Tehri	JAUNPUR	रा0प्रा0वि0-बगार	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
445	Tehri	JAUNPUR	रा0उ0प्रा0वि0-नौचर	उच्च प्राथमिक	48	18	30	60000.00
446	Tehri	JAUNPUR	रा0उ0प्रा0वि0-हटवालगांव	उच्च प्राथमिक	68	50	18	36000.00
447	Tehri	JAUNPUR	रा0प्रा0वि0-हटवालगांव	प्राथमिक	52	25	27	54000.00
448	Tehri	JAUNPUR	रा0उ0प्रा0वि0-टर्लू	उच्च प्राथमिक	44	30	7	14000.00
449	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि.थाती बडियार	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
450	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. दिगोली	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
451	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. चोनी	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
452	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. बन्दासा	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
453	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. कफना	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
454	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. रामपुर	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
455	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. देवगंडी	प्राथमिक	4	0	4	8000.00
456	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. खोंगवा	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
457	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. पल्लीगाड़	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
458	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. भण्डाली	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
459	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. तल्याकोट	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
460	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. खोला (लक्ष्मोली)	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
461	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. थाती जागर	प्राथमिक	51	30	21	42000.00
462	Tehri	KIRTINAGAR	रा.प्रा.वि. हिसरियाखाल	प्राथमिक	56	40	16	32000.00
463	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.प्रा.वि. कफोलगांव	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
464	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.प्रा.वि. भट्ट्या	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
465	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.प्रा.वि. पाथौं	प्राथमिक	5	0	5	10000.00
466	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.उ.प्रा.वि. दड़ेड़ा	उच्च प्राथमिक	12	0	12	24000.00
467	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.प्रा.वि. नरेन्द्रनगर	प्राथमिक	45	10	35	70000.00
468	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.प्रा.वि. मुनिकीरेती	प्राथमिक	105	5	100	200000.00
469	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.प्रा.वि. खरास्त्रोत	प्राथमिक	85	60	25	50000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवंटित फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवंटित धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
470	Tehri	NARENDRANAGAR	रा.उ.प्रा.वि. मुनिकीरेती	उच्च प्राथमिक	52	32	20	40000.00
471	Tehri	PRATAPNAGAR	रा.उ.प्रा.वि. पदुडी	उच्च प्राथमिक	10	0	10	20000.00
472	Tehri	PRATAPNAGAR	रा.प्रा.वि. खिट्टा	प्राथमिक	11	0	11	22000.00
473	Tehri	PRATAPNAGAR	रा.प्रा.वि. नौघराल	प्राथमिक	3	0	3	6000.00
474	Tehri	THAULDHAR	रा.प्रा.वि. इडियान	प्राथमिक	17	0	17	34000.00
475	Tehri	THAULDHAR	रा.प्रा.वि. नकोट गुसाई	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
476	Tehri	THAULDHAR	रा.प्रा.वि. स्यासू	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
477	Tehri	THAULDHAR	रा.प्रा.वि. ठरोगी	प्राथमिक	7	0	7	14000.00
478	Tehri	THAULDHAR	रा.प्रा.वि. लवाणी	प्राथमिक	22	0	22	44000.00
479	Tehri	THAULDHAR	रा.प्रा.वि. क्यादा	प्राथमिक	19	0	19	38000.00
जनपद टिहरी योग					1161	426	728	1456000.00
480	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.उ.प्रा.वि. दानपुर	उच्च प्राथमिक	52	0	52	104000.00
481	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.प्रा.वि. गंगापुर	प्राथमिक	94	59	35	70000.00
482	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.प्रा.वि. गंगापुर पटिया	प्राथमिक	51	45	6	12000.00
483	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.उ.प्रा.वि. संजयनगर	उच्च प्राथमिक	167	137	30	60000.00
484	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.प्रा.वि. रमपुर	प्राथमिक	316	210	106	212000.00
485	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.प्रा.वि. संजयनगर	प्राथमिक	85	40	45	90000.00
486	U.S. Nagar	रुद्रपुर	रा.प्रा.वि. बार्ड नं 02 किच्छा	प्राथमिक	72	59	13	26000.00
487	U.S. Nagar	खटीमा	रा.प्रा.वि. विसौटा नौगवांताथ	प्राथमिक	16	0	16	32000.00
488	U.S. Nagar	खटीमा	रा.प्रा.वि. नदन्ना	प्राथमिक	12	0	12	24000.00
489	U.S. Nagar	खटीमा	रा.प्रा.वि. चटिया फार्म	प्राथमिक	18	0	18	36000.00
490	U.S. Nagar	खटीमा	रा.प्रा.वि. छिनकी देवकला	प्राथमिक	18	0	18	36000.00
491	U.S. Nagar	खटीमा	रा.उ.प्रा.वि. उलधन	उच्च प्राथमिक	34	0	34	68000.00
492	U.S. Nagar	खटीमा	रा.प्रा.वि. लोहियाहेड	प्राथमिक	55	39	16	32000.00
493	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.प्रा.वि. धनसारा	प्राथमिक	87	57	30	60000.00
494	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.प्रा.वि. बरहैनी	प्राथमिक	154	124	30	60000.00
495	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.प्रा.वि. इटव्वा	प्राथमिक	91	61	30	60000.00
496	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.उ.प्रा.वि. चकरपुर	उच्च प्राथमिक	125	100	25	50000.00
497	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.उ.प्रा.वि. गणेशपुर	उच्च प्राथमिक	88	73	15	30000.00
498	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.उ.प्रा.वि. मडैयाहट्टू	उच्च प्राथमिक	68	44	24	48000.00
499	U.S. Nagar	बाजपुर	रा.उ.प्रा.वि. हजीरा	उच्च प्राथमिक	54	9	45	90000.00
500	U.S. Nagar	सितारगंज	रा.प्रा.वि. बंकाई नानकमत्ता	प्राथमिक	65	45	20	40000.00
501	U.S. Nagar	सितारगंज	रा.प्रा.वि. शवितफार्म नं-3	प्राथमिक	66	41	25	50000.00
502	U.S. Nagar	सितारगंज	रा.उ.प्रा.वि. शवितफार्म नं-5	उच्च प्राथमिक	85	30	55	110000.00
503	U.S. Nagar	जसपुर	रा.प्रा.वि. तालबपुर	प्राथमिक	116	101	15	30000.00
504	U.S. Nagar	जसपुर	रा.प्रा.वि. जसपुर, नगर क्षेत्र	प्राथमिक	45	21	24	48000.00
505	U.S. Nagar	जसपुर	रा.प्रा.वि. सन्यासियोवाला	प्राथमिक	101	85	16	32000.00
506	U.S. Nagar	जसपुर	रा.प्रा.वि. खेड़ालक्ष्मीपुर	प्राथमिक	113	85	28	56000.00
507	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.प्रा.वि. रामबाग	प्राथमिक	58	0	58	116000.00
508	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.प्रा.वि. शिवपुर	प्राथमिक	101	71	30	60000.00
509	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.प्रा.वि. खटोला	प्राथमिक	48	33	15	30000.00
510	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.उ.प्रा.वि. रामबाग	उच्च प्राथमिक	50	33	17	34000.00
511	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.प्रा.वि. पंचाननपुर	प्राथमिक	47	21	26	52000.00
512	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.प्रा.वि. जगदीशपुर	प्राथमिक	160	140	20	40000.00
513	U.S. Nagar	गदरपुर	रा.प्रा.वि. सुखशान्तिनगर	प्राथमिक	54	49	5	10000.00
जनपद सुधमसिंह नगर योग					2766	1812	954	1908000.00
514	Uttarkashi	धिन्यालीसौड़	रा.प्रा.वि. गडथ	प्राथमिक	17	0	17	34000.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)	छात्र संख्या	उपलब्ध फर्नीचर	आवृत्त फर्नीचर (छात्र संख्यावार)	आवृत्त धनराशि 2.00 हजार प्रति छात्र की दर से
515	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.प्रा.वि. चिन्माली	प्राथमिक	10	0	10	20000.00
516	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.प्रा.वि. क्यारी	प्राथमिक	6	0	6	12000.00
517	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.क.उ.प्रा.वि. भडकोट	उच्च प्राथमिक	16	0	16	32000.00
518	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.क.उ.प्रा.वि. धरासू	उच्च प्राथमिक	8	0	8	16000.00
519	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.प्रा.वि. टण्डोल	प्राथमिक	45	15	30	60000.00
520	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.प्रा.वि. दिचली	प्राथमिक	51	41	10	20000.00
521	Uttarkashi	चिन्मालीसौड़	रा.उ.प्रा.वि. न्यूखालसी	उच्च प्राथमिक	50	20	30	60000.00
जनपद उत्तरकाशी योग					203	76	127	254000.00
महायोग					29306	18299	11000	22000000.00

(रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)


 निर्देशक
 प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक— अर्थ-2/ 3897-903/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 14 जुलाई 2025
विषय— वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत धनराशि में से रु0 22000 हजार(रु0 दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संबंधित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0-। दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमेंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न- आवंटन आईडी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/ 3897-903 /5क(02)/13/ 2025-26 दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी, देहरादून,
पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 13639-42

/अनु०/2025-26 दिनांक 27 मार्च, 2026

विषय—

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या—अर्थ—2/13573-79/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 24 मार्च, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या—11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51—अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	टिहरी	जाखणीधार	रा०उ०प्रा०वि० खोला	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० घनसाली, टिहरी	23	258000.00
2	टिहरी	प्रतापनगर	रा०प्रा०वि० बनाली रैका	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि०, टिहरी	23	995000.00
योग:-						46	1253000.00
3	देहरादून	विकासनगर	रा०प्रा०वि० प्रतीतपुर	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० देहरादून	110	722000.00
4	देहरादून	सहसपुर	रा०क०उ०प्रा०वि० सहसपुर	मरम्मत कार्य		117	998000.00
योग:-						227	1720000.00
5	पिथौरागढ़	धारचूला	रा०प्रा०वि० लिणुवा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि०, डीडीहाट	42	720000.00
योग:-						42	720000.00
6	ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	रा०प्रा०वि० हजीरा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	65	973000.00
7	ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	रा०प्रा०वि० थापक नगला	मरम्मत कार्य		30	971000.00
8	ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	रा०प्रा०वि० मडैयाहट्टू	मरम्मत कार्य		104	965000.00
9	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा०उ०प्रा०वि० तिलपुरी नं०-2	मरम्मत कार्य		29	976000.00

10	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा0प्रा0वि0 पिपलिया	मरम्मत कार्य	ग्रा0नि0वि0 ऊधमसिंह नगर	50	991000.00
11	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा0उ0प्रा0वि0 रामबाग	मरम्मत कार्य	ग्रा0नि0वि0 ऊधमसिंह नगर	46	990000.00
योग:—						324	5866000.00
12	उत्तरकाशी	नौगांव	रा0उ0प्रा0वि0 पालिया	मरम्मत कार्य	ग्रा0नि0वि0 उत्तरकाशी	25	950000.00
योग:—						25	950000.00
कुल योग:—						664	10509000.00

(कुल योग:— रुपये एक करोड़ पांच लाख नौ हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय,


(नागेन्द्र बर्त्वाल)

संयुक्त निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 13639-42

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।


संयुक्त निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़,
ऊ०सि०नगर, उत्तरकाशी।

पत्रांक— अर्थ-2/

/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय— वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना अन्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु० 10509 हजार (रुपये एक करोड़ पाँच लाख नौ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई०डी० के द्वारा धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:-

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्य हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी०एस०आर०, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद-विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।
- 4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- कार्य पर मदवार उत्तना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

- 7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।
- 8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- 9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
- 10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ट्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।
- 11-निर्धारित एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।
- 13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेंट आईडी के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
- संलग्न- आवंटन आईडी।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/13573-79 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 12047-50 /अनु०/2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या—अर्थ—2/250540/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या—11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51—अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	पौड़ी	थलीसैण	रा०प्रा०वि० बगडियालगांव	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पौड़ी	5	457000.00
2	पौड़ी	रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० गाजा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० कोटद्वार	11	1000000.00
3	पौड़ी	रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० बुलेखा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० कोटद्वार	4	1000000.00
4	पौड़ी	रिखणीखाल	रा०प्रा०वि० कुमालडी	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० कोटद्वार	12	994000.00
5	पौड़ी	पाबौ	रा०क०पू०मा०वि० पसीणा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पौड़ी	7	914000.00
6	पौड़ी	थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० भनरखाल	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पौड़ी	13	856000.00
7	पौड़ी	थलीसैण	रा०प्रा०वि० समैया	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पौड़ी	6	450000.00
जनपद का योग						58	5671000.00

(कुल योग:— रुपये छप्पन लाख इकहत्तर हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।

- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12047-50 /अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक- नियोजन 04/12051-55

/अनु०/2025-26 दिनांक 14 फरवरी, 2026

विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/250540/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	देहरादून	चकराता	रा०प्रा०वि० डिमिचलानी	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० देहरादून	12	749000.00
जनपद का योग						12	749000.00

(कुल योग:- रुपये सात लाख उनचास हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

➤ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12051-55

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पत्रांक- नियोजन 04/ 12056-60

/अनु०/ 2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय- राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

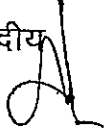
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/250540/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवरस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्रं० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0प्रा0वि0 शिलिंगिया	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पिथौरागढ़	14	710000.00
2	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0प्रा0वि0 ओखल	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पिथौरागढ़	5	830000.00
3	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0प्रा0वि0 मड मानले	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० पिथौरागढ़	2	930000.00
जनपद का योग						21	2470000.00

(कुल योग:- रुपये चौबीस लाख सत्तर हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

➤ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय


(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक

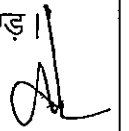
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12056-60

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।



(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

पत्रांक— नियोजन 04/ 12061-65

/अनु०/2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/250540/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	अल्मोड़ा	लमगडा	रा०प्रा०वि० अडीठा पौधार	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० अल्मोड़ा	9	996000.00
2	अल्मोड़ा	लमगडा	रा०प्रा०वि० त्यूनरादाडिमी	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० अल्मोड़ा	21	996000.00
3	अल्मोड़ा	स्यालदे	रा०प्रा०वि० सिमलचौरा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० भिकियासैण	10	586000.00
4	अल्मोड़ा	स्यालदे	रा०प्रा०वि० मालीखेत	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० भिकियासैण	12	973000.00
जनपद का योग						52	3551000.00

(कुल योग:— रुपये पैंतीस लाख इक्यावन हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।

- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12061-65

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक— नियोजन 04/ 12066-70 /अनु०/2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026
विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/250540/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० बरा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	105	968000.00
2	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० धौराडाम द्वितीय	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	46	977000.00
3	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० छिनकी	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	198	972000.00
4	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० दरऊ द्वितीय	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	118	977000.00
5	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० वार्ड नं० 9/10	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	123	977000.00
6	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० विडौरा	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	50	974000.00
7	ऊधमसिंह नगर	रुद्रपुर	रा०प्रा०वि० धौराडाम प्रथम	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० ऊधमसिंह नगर	65	967000.00
जनपद का योग						705	6812000.00

(कुल योग:- रुपये अड़सठ लाख बारह हजार मात्र)

➤ विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी

स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।

- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
 - आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
 - विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12066-70 /अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी।

पत्रांक— नियोजन 04/ 12071-75

/अनु०/2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-अर्थ-2/250540/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 फरवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या-11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	टिहरी	धनोल्ती	रा०प्रा०वि० बगालचक	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० टिहरी	7	996000.00
2	टिहरी	धनोल्ती	रा०प्रा०वि० महेडा प्रथम	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० टिहरी	9	972000.00
3	टिहरी	धनोल्ती	रा०प्रा०वि० महेडा द्वितीय	मरम्मत कार्य	ग्रा०नि०वि० टिहरी	9	999000.00
4	टिहरी	देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० संकुल	प्रार्थना स्थल समतलीकरण कार्य	ग्रा०नि०वि० घनसाली टिहरी	7	363000.00
जनपद का योग						32	3330000.00

(कुल योग:- रुपये तैंतीस लाख तीस हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।

- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:— यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 12071-75

/अनु०/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत कराये। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौड़ियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननुरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में.

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़,
अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, टिहरी।

पत्रांक- अर्थ-2/250540

/ 5क(02) / 13 / 2025-26

दिनांक 10 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु0 22583 हजार (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख तेरासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:-

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एंस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद-विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुसरण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11-निर्धारित एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाये।

13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैट आईडी के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आईडी।

Digitally signed by

Birendra Kumar

Date: 10-02-2026

15:59:09

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०-अर्थ-2/ 250540 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)

वित्त नियन्त्रक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।